भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग, अहमदाबाद
निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)

आरबीआई/अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/1/25-26/ईटी/883

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), अहमदाबाद (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च 2028 अर्थात दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए आरबीआई, अहमदाबाद से भारत के विभिन्न स्थानों पर बैंक नोटों के परिवहन के लिए दरवाजों और लॉकिंग व्यवस्था के साथ पूरी तरह से ढके कंटेनर ट्रकों/वाहनों की पर्याप्त संख्या की आपूर्ति के लिए और पुलिस एस्कॉर्ट और प्रतिनिधियों के लिए टैक्सी की आपूर्ति के लिए ई-टेंडरिंग विधि के माध्यम से निविदा आमंत्रित करता है।

इच्छुक और पात्र कंपनियां/फर्म भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx और एमएसटीसी की वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com से निविदा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा की समयसीमा निम्नानुसार है:

एमएसटीसी/आरबीआई की वेबसाइट पर ई-टेंडर देखने, डाउनलोड करने की तिथि	30 जनवरी, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे
प्री-बिड मीटिंग	20 फरवरी, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे
बोली शुरू होने की तिथि	24 फरवरी, 2026 पूर्वाह्न 10:00 बजे
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	5 मार्च, 2026 अपराह्न 05:00 बजे तक
बोली बंद होने की तिथि	6 मार्च, 2026 पूर्वाह्न 10:00 बजे
भाग-I (तकनीकी बोली) के खुलने की तिथि और समय	6 मार्च, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे

यदि उपरोक्त में उल्लिखित किसी भी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित उद्देश्य के लिए अगला कार्यदिवस प्रभावी होगा।

सभी इच्छुक कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा। कृपया यह भी ध्यान दें कि आगे परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक
गुजरात, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली

भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
अहमदाबाद

01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च 2028 अर्थात दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए आरबीआई, अहमदाबाद से भारत के विभिन्न स्थानों पर बैंक नोटों के परिवहन के लिए दरवाजों और लॉकिंग व्यवस्था के साथ पूरी तरह से ढके कंटेनर ट्रकों/वाहनों की पर्याप्त संख्या की आपूर्ति के लिए और पुलिस एस्कॉर्ट और प्रतिनिधियों के लिए टैक्सी की आपूर्ति के लिए ई-टेंडरिंग विधि के माध्यम से निविदा।

आरबीआई/अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/1/25-26/ईटी/883

तकनीकी-वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता का नाम:...
पता:...
टेलीफोन नंबर:...
ईमेल पता:...

भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग
अहमदाबाद - 380014
भारत

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, अहमदाबाद ने इच्छुक पार्टियों को काम की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सही मानते हैं, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार में से कोई वारंटी देते हैं या इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या कोई अन्य जानकारी जो इसके साथ उपलब्ध कराई जा सकती है, की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई अभ्यावेदन, व्यक्त या निहित नहीं करते हैं।

इसका यह आशय नहीं है कि जानकारी पूर्ण है। इच्छुक पार्टियों से अपेक्षित है कि वे अपनी स्वयं की पूछताछ कर लें और और उत्तरदाताओं से अपेक्षित होगा कि वे लिखित रूप में पुष्टि करें कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल आरबीआई, अहमदाबाद द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। यह सूचना इस आधार पर दी जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक निविदा के साथ आगे न बढ़ने या निविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

विषय-सूची सारणी

दस्तावेज़ में खंडों का विवरण	पृष्ठ
खंड I - निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)	5
खंड II - निविदा की अनुसूची (एसओटी)	6-7
खंड III - ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	8-12
खंड IV - निविदा का प्रपत्र	13-15
खंड V - बोलीदाताओं को निर्देश (सामान्य और विशेष शर्तों सहित)	16-24
खंड VI – अनुबंध के नियम और शर्तें	25-33
खंड VII – निविदाकर्ता द्वारा भरा जाने वाला विवरण	34-37
खंड VIII - दस्तावेजों की सूची	38-39
खंड IX - भाग II – मूल्य बोली	40-42
अनुलग्नक क – दस्तावेजों का प्रारूप	43-53

भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग, अहमदाबाद
खंड I
निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)

आरबीआई/अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/1/25-26/ईटी/883

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), अहमदाबाद (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च 2028 अर्थात दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए आरबीआई, अहमदाबाद से भारत के विभिन्न स्थानों पर बैंक नोटों के परिवहन के लिए दरवाजों और लॉकिंग व्यवस्था के साथ पूरी तरह से ढके कंटेनर ट्रकों/वाहनों की पर्याप्त संख्या की आपूर्ति के लिए और पुलिस एस्कॉर्ट और प्रतिनिधियों के लिए टैक्सी की आपूर्ति के लिए ई-टेंडरिंग विधि के माध्यम से निविदा आमंत्रित करता है।

इच्छुक और पात्र कंपनियां/फर्म भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx और एमएसटीसी की वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com से निविदा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा की समयसीमा निम्नानुसार है:

एमएसटीसी/आरबीआई की वेबसाइट पर ई-टेंडर देखने, डाउनलोड करने की तिथि	30 जनवरी, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे
प्री-बिड मीटिंग	20 फरवरी, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे
बोली शुरू होने की तिथि	24 फरवरी, 2026 पूर्वाह्न 10:00 बजे
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	5 मार्च, 2026 अपराह्न 05:00 बजे तक
बोली बंद होने की तिथि	6 मार्च, 2026 पूर्वाह्न 10:00 बजे
भाग- I (तकनीकी बोली) के खुलने की तिथि और समय	**6 मार्च, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे**

यदि उपरोक्त में उल्लिखित किसी भी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित उद्देश्य के लिए अगला कार्यदिवस प्रभावी होगा।

सभी इच्छुक कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा। कृपया यह भी ध्यान दें कि आगे परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक
गुजरात, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली

खंड II
निविदा अनुसूची (एसओटी)

1. ई-निविदा सं.	आरबीआई/अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/1/25-26/ईटी/883
2. कार्य का नाम:	(अ) भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद से गुजरात और दादरा और नगर हवेली और दीव-दमन के विभिन्न भागों में और भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यालयों को तथा वहां से भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद में सड़क मार्ग से जैसाकि बैंक द्वारा अपेक्षित हो, बैंक नोटों वाले बक्सों का परिवहन करना जिन्हें पर्याप्त मोटाई वाले मैटेलिक बॉडी वाले पूरी तरह से ढके हुए कंटेनर ट्रकों/वाहनों (**न्यूनतम 5**) से परिवहन किया जाना है, जो अधिमानतः सुरक्षित टैंपर प्रूफ डबल लॉकिंग व्यवस्था के साथ बुलेट/टैम्पर प्रूफ हो, जिनमें **9,12** और **16** मीट्रिक टन की लदान क्षमता (प्रत्येक श्रेणी से कम से कम एक ट्रक) हो तथा सीसीटीवी और हूटर सहित दरवाजे और लॉकिंग व्यवस्था के साथ हों (ब) पुलिस और बैंक के प्रतिनिधियों के साथ जाने के लिए पर्याप्त संख्या में टैक्सियों की आपूर्ति।
3. निविदा का तरीका:	एमएसटीसी वेबसाइट के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - वित्तीय/मूल्य बोली) https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi/
4. ई-निविदा देखने के लिए एमएसटीसी पोर्टल में उपलब्ध निविदा आमंत्रित करने की सूचना की तिथि	30 जनवरी, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे
5. बोली पूर्व बैठक की तिथि और समय (optional)	20 फरवरी, 2026 पूर्वाह्न11:00 बजे (यह बैठक अहमदाबाद में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन की 2(दूसरे) मंजिल पर बैठक कक्ष में आयोजित की जाएगी। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त स्थान और तिथि और समय पर उपस्थित रहें।)
6. काम की अनुमानित लागत:	01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक दो साल की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष जीएसटी सहित **₹1,60,00, 000/-** (एक करोड़ साठ लाख रुपये मात्र) यह नोट किया जाए कि काम का वास्तविक मूल्य भिन्न हो सकता है।
7. बयाना जमाराशि (ईएमडी)	एनईएफटी**/**आरटीजीएस के रूप में **₹3,20,000/-** (तीन लाख बीस हजार रुपये मात्र)। ईएमडी के बिना प्राप्त ऐसी किसी भी बोली को गैर-वास्तविक माना जाएगा और निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से अस्वीकार कर दिया जाएगा। **नाम – भारतीय रिजर्व बैंक अहमदाबाद**

	खाता संख्या: 186003001 **IFSC: RBIS0AHPA01 (पांचवां और दसवां अंक शून्य (0) के रूप में पढ़ा जा सकता है)** **ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।**
8. एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	5 मार्च, 2026 अपराह्न 05:00 बजे तक
9.प्रदर्शन बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा (मनोनीत ठेकेदार पर लागू)	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनुबंध प्रदान करने की सूचना जारी होने के 10 दिनों के भीतर, अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर राशि का एक प्रदर्शन बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा प्रदान किया जाना चाहिए। **सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।**
10. **https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi** पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय/मूल्य बोली की बोली शुरू होने की तारीख	24 फरवरी, 2026 पूर्वाह्न 10:00 बजे
11. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय/मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि	6 मार्च, 2026 पूर्वाह्न 10:00 बजे
12. भाग- । (अर्थात तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तिथि और समय	6 मार्च, 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे
13. भाग- ॥ के खुलने की तिथि और समय (अर्थात वित्तीय बोली)	पात्र बोलीदाताओं को इसकी सूचना दी जाएगी।
14. लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी भुगतान गेटवे के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान या तो एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा, चालान के माध्यम से या एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान द्वारा। भुगतान प्राप्त होने पर, सिस्टम स्वचालित रूप से भुगतान को अधिकृत करेगा। ई-खरीद में भाग लेने के लिए शुल्क एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से या मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा सूचित किए अनुसार किया जाएगा। **लेनदेन शुल्क वापसी योग्य नहीं है।**

खंड III
एमएसटीसी पोर्टल पर ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह एमएसटीसी लिमिटेड का एक ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। आपसे अनुरोध है कि अपना ऑनलाइन टेंडर जमा करने से पहले इस टेंडर के नियमों और शर्तों को पढ़ लें। जो बोलीदाता दस्तावेजी प्रमाण (जहां भी आवश्यक हो) के साथ शर्तों का पालन नहीं करते हैं, वे मूल्य बोली खोलने के लिए निविदा में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

1. **ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया**

पंजीकरण: -

इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो नि:शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ इंटरनेट पर मूल्य बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली निम्नलिखित साइट पर **ऑनलाइन जमा की जानी है**- **www.mstcecommerce.com/eprocn/ (Version 3)**

विक्रेताओं से अपेक्षित है कि वे www.mstcecommerce.com/eprocn पर स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करें

विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें -- विवरण भरें और स्वयं की उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं, सबमिट करें।

अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/वीडियो/पंजीकरण पर जाएं, विक्रेताओं को उनके उस ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो उन्होंने पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

मेघा सिन्हा, डीएम	**मारुत साहा, प्रबंधक**
megha@mstcindia.co.in	adopn3@mstcindia.co.in
Ph-0265-2960354/2960379/2960385	Ph-0265 2960354/2960379/2960385

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई):

दिलीप बी.एस. राठौर, समप्र	**2.सारंग सालुंके, सप्र**
drathore@rbi.org.in	svsalunke@rbi.org.in
079-27548203	079-27548212

सिस्टम की आवश्यकता: -

i) विवरण के लिए, विक्रेता https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड देख सकते हैं।

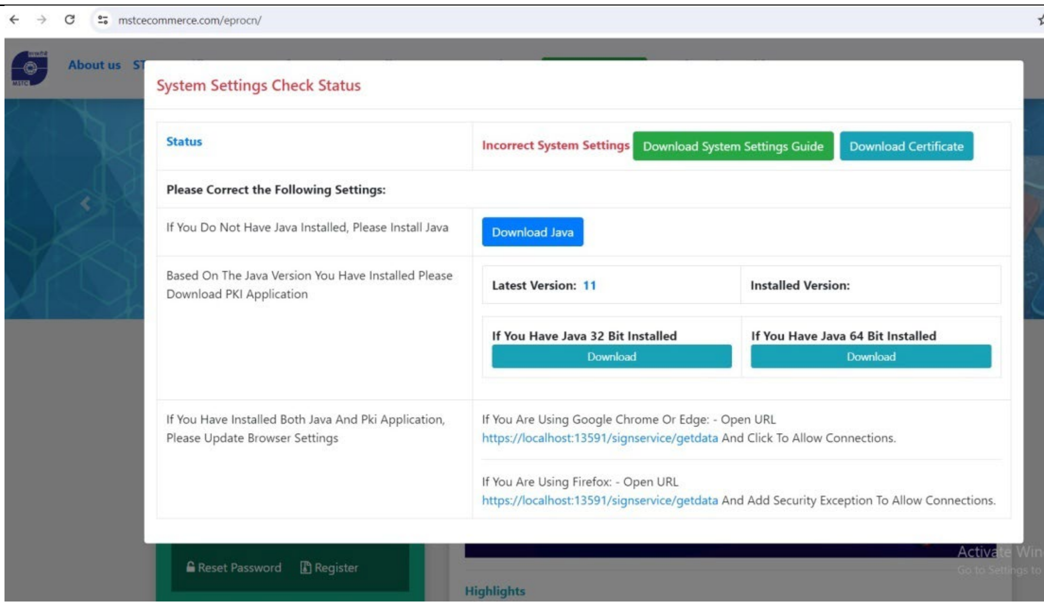

2. **(A)** भाग-I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एनआईटी में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। बोलीदाता बोली को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खोलते हुए देख सकते हैं।

(B) केवल उन्हीं बोलीदाताओं की भाग-II मूल्य बोली इलैक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-I तकनीकी वाणिज्यिक बोली भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) को उनके द्वारा पुष्टि की गई वैध ई-मेल के माध्यम से भाग-II मूल्य बोली खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी।

नोट: निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सर्वोत्तम संभव दरों की पेशकश करें। आम तौर पर कोई मौल-भाव नहीं होगा। इसलिए कृपया मूल्य बोली जमा करते समय अपनी सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतें जमा करें। तथापि, यदि मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दर उचित प्रतीत होती है, तो आदेश सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया जा सकता है और यदि दर को अभी भी अधिक माना जाता है, तो प्रचलित अनुदेश/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

3. निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

4. विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोली लगाने के लिए दस्तावेज़ संलग्न करें लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 4 एमबी है। अधिक सहायता के लिए, कृपया विक्रेता गाइड के निर्देशों का पालन करें। लेन-देन शुल्क के बारे में विशेष नोट: विक्रेता लॉगिन में "माई मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। विक्रेताओं को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी/आरटीजीएस या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी/आरटीजीएस का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। विक्रेता चालान में बदलाव किए बिना चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में भुगतान जमा होने के बाद लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा, और विक्रेता को एक

	सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। **लेनदेन शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा।** विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं होगी। नोट - बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इवेंट के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से जमा कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए स्वंय को पर्याप्त समय मिल सके।
5.	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता (बोलीदाताओं) को सभी नोटिस और पत्राचार केवल ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे। इसलिए बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके द्वारा प्रदान की गई कॉर्पोरेट ई-मेल आईडी वैध है और एमएसटीसी (अर्थात सेवा प्रदाता) के साथ विक्रेता के पंजीकरण के चरण में अद्यतन की गई है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।
6.	**(i)** कृपया ध्यान दें कि एनआईटी में उल्लिखित वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने वाले पक्षों को सूची निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे निविदा खोलने की नियत तारीख से पहले एक बार फिर वेबसाइट देखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्होंने निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद उक्त निविदा के लिए अपलोड किए गए किसी भी शुद्धिपत्र को याद नहीं किया है। संबंधित शुद्धिपत्र को डाउनलोड करने की जिम्मेदारी, यदि कोई हो, डाउनलोडिंग पार्टियों की होगी। **(ii)** इस एनआईटी के शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के संबंध में कोई अलग सूचना निविदाकर्ताओं (ओं) को नहीं भेजी जाएगी जिन्होंने वेबसाइट से दस्तावेज डाउनलोड किए हैं। कृपया एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi देखें।
7.	एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।
8.	**ई-टेंडर में बोली लगाना:** **(a)** बोलीदाताओं को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी (एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से) जमा करने की आवश्यकता है। **ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा**। असफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) के ईएमडी को कार्य सौंपे जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद द्वारा वापस कर दिया जाएगा। **(b)** इस प्रक्रिया में तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है। जिन बोलीदाताओं ने उपर्युक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे एमएसटीसी की वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोली ही प्रस्तुत कर सकते हैं www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → नया सामान्य पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर→ लाइव इवेंट →लाइव इवेंट का चयन→ लेनदेन शुल्क->सामान्य शर्तें->दस्तावेज़ संलग्न करें->मूल्य बोली। कृपया ध्यान दें: विक्रेता लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शब्द टैब सक्षम करेगा। इस चरण के सफल समापन के बाद, विक्रेताओं को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल को डाउनलोड और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि अटैच किए गए दस्तावेज़ और/या सामान्य शर्तों को सहेजने का चरण असफल रहता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम कर दिया जाएगा। सफल/लंबित

	बोली की स्थिति बोली स्थिति बटन में प्रदर्शित की जाएगी। **(c)** सबसे पहले, विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो, भरना होगा और इसे सहेजना होगा। फिर विक्रेता को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है। नोट: - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएं" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए। **(d)** सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। **(e)** पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे। **(f)** ई-टेंडर का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा। **(g)** ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद **आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।** **(h)** यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां श्रेणी ॥। हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। **(i)** क्रेता के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो। **(j)** ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-टेंडर में बोली जमा करना ई-टेंडर के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है। **(k)** माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा फ्लोर में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा मंजिल/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।
9.	इस खुली ई-निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा।
10.	तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं है।
11.	ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद, बोलीदाता डिजिटल हस्ताक्षर के साथ बोली जमा करने के बाद निविदा को एक्सेस नहीं कर सकता है।

12.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।
13.	ऑनलाइन निविदा एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi में निर्धारित नियमों और शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।
14.	बोलीदाताओं को एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अपलोड किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा जो एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
15.	बोली का मूल्यांकन भरे हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा
16.	बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाता (बोलीदाताओं) का ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। चूककर्ता बोलीदाताओं के विरुद्ध निलंबन और कारोबार पर प्रतिबंध सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

खंड IV

निविदा का प्रपत्र

स्थान______________ तारीख ______________

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
अहमदाबाद - 380014

महोदया/महोदय,

इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने और दौरान करने तथा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों की प्रकृति की जांच करने और निविदा को प्रभावित करने वाली अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्द्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को निर्दिष्ट समय के भीतर, मात्राओं, विनिर्देशों की संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों के अनुसार, वाणिज्यिक शर्तों, मात्रा की अनुसूची और अनुबंध की शर्तों के साथ और ऐसी सामग्री जिसका प्रावधान किया गया हैं, और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं, निष्पादित करने की पेशकश करते हैं।

ज्ञापन

क्र. सं.	विवरण	निविदा का ब्यौरा
1	कार्य का विवरण	(अ) भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद से गुजरात और दादरा और नगर हवेली और दीव-दमन के विभिन्न भागों में और भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यालयों को तथा वहां से भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद में सड़क मार्ग से जैसाकि बैंक द्वारा अपेक्षित हो, बैंक नोटों वाले बक्सों का परिवहन करना जिन्हें पर्याप्त मोटाई वाले मैटेलिक बॉडी वाले पूरी तरह से ढके हुए कंटेनर ट्रकों/वाहनों से परिवहन किया जाना है, जो अधिमानतः सुरक्षित टैंपर प्रूफ डबल लॉकिंग व्यवस्था के साथ बुलेट/टैम्पर प्रूफ हो, जिनमें 9,12 और 16 मीट्रिक टन की लदान क्षमता (प्रत्येक श्रेणी से कम से कम एक ट्रक) हो तथा जीपीएस, सीसीटीवी और हूटर सहित दरवाजे और लॉकिंग व्यवस्था के साथ हों (ब) पुलिस और बैंक के प्रतिनिधियों के साथ जाने के लिए पर्याप्त संख्या में टैक्सियों की आपूर्ति।
2	अनुमानित लागत/व्यय	01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक दो वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष जीएसटी सहित **₹1,60,00,000** (एक करोड़ साठ लाख रुपये मात्र) यह राशि केवल सांकेतिक है और बैंक इस ज्ञापन में उल्लिखित अनुमानित लागत/व्यय के बराबर या उससे अधिक व्यय करने के लिए बाध्य नहीं है।

3	भुगतान का तरीका	एनईएफटी/आरटीजीएस
4	बयाना जमा राशि (ईएमडी)	**₹3,20,000/-** (तीन लाख बीस हजार रुपये मात्र) जिसका भुगतान एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को किया जाना है। खातासं.186003001 आईएफएससी: RBIS0AHPA01 (5वें और 10वें अंक को शून्य (0) के रूप में पढ़ा जाए) **ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।**
5	प्रदर्शन बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा (मनोनीत ठेकेदार पर लागू)	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनुबंध प्रदान करने की सूचना जारी होने के 10 दिनों के भीतर, अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर राशि का एक प्रदर्शन बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा प्रदान किया जाना चाहिए। **सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।**
6	अनुबंध अवधि	दो वर्ष (1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक)
7	अनुबंध का विस्तार	अनुबंध को बैंक द्वारा अपने विकल्प पर, एक वर्ष की और अवधि के लिए, मूल अनुबंध करार के नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के बिना या पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के अधीन बढ़ाया जा सकता है।

1. मैं / हम यह भी सहमत हैं कि हमारी बोली, बोली के भाग-I के खोले जाने की तारीख से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकार के लिए वैध रहेगी और इस वैधता अवधि को बैंक और मैं / हम के बीच लिखित रूप से पारस्परिक रूप से सहमत किसी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

2. यदि यह बोली स्वीकार की जाती है, तो मैं / हम या मेरे उत्तराधिकारी, या अधिकारी, या नामित व्यक्ति यहां सहमत हैं कि बोली की सभी शर्तों और नियमों का पालन और पूर्ति करेंगे और इसके अनुपालन में विफलता की स्थिति में, आप या आपके उत्तराधिकारी, या अधिकारी, या नामित व्यक्ति को बोली में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार निर्धारित राशि के साथ-साथ अनुबंध की लिखित स्वीकृति के अनुसार धनराशि जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

3. मैं / हम समझते हैं कि आपके पास किसी भी या सभी बोलियों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, बिना किसी कारण बताए।

4. बोली ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से दो भागों में प्रस्तुत की गई है, अर्थात् भाग I और भाग II। भाग I में सभी वाणिज्यिक शर्तें और शर्तें तथा तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग II में केवल बैंक के प्रारूप में मूल्य बोली है।

दिनांक .... दिन .... 2026 को।

एम/एस ____________________________ की ओर से और उनके लिए

(मुहर सहित हस्ताक्षर)
पद

स्थान
दिनांक
(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता के पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सही प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

गवाह

1. हस्ताक्षर

   नाम:

   पता: ____

   तारीख:

2. हस्ताक्षर

   नाम:

   पता: ____

   तारीख:

खंड V
बोलीदाताओं को निर्देश

क. सामान्य	
1.निविदा का दायरा	**1.1** निविदाकर्ता पर्याप्त मोटाई के धात्विक बॉडी वाले पूरी तरह से ढके हुए कंटेनर ट्रकों/वाहनों की पर्याप्त संख्या **(न्यूनतम पांच)** की आपूर्ति करेगा, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), सीसीटीवी और हूटर के साथ सुरक्षित टैंपर प्रूफ डबल लॉकिंग व्यवस्था के साथ हो**,** जिन्हें बॉक्स में पैक किए गए बैंक नोटों के परिवहन के लिए: **(i)** रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे/प्रेस/किसी भी अन्य स्थान से आरबीआई, अहमदाबाद और इसके आरबीआई से इन स्थानों पर**।** **(ii)** आरबीआई, अहमदाबाद से गुजरात राज्य और दादरा और नगर हवेली तथा दीव-दमन में विभिन्न स्थानों तथा इन स्थानों से आरबीआई, अहमदाबाद में। **(iii)** अन्य आरबीआई कार्यालयों के अधिकारक्षेत्र में स्थापित करेंसी चेस्टों तथा करेंसी चेस्टों से आरबीआई के कार्यालयों में। (iv) भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद से भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य कार्यालयों में तथा अन्य कार्यालयों से आरबीआई, अहमदाबाद में। **1.2** पुलिस और बैंक के प्रतिनिधियों के साथ जाने के लिए पर्याप्त संख्या में टैक्सियों की आपूर्ति।
2. निषिद्ध प्रथाएं	2.1 बैंक यह अपेक्षा करता है कि निविदाकर्ता, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, जो बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखते हैं, अनुबंध/**कार्य** की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक: (a) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई शर्तों को निषिद्ध प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है: (i) "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मूल्यवान चीज़ की पेशकश, **प्रदान करना**, प्राप्त करना, या मांगना**;** (ii) "धोखाधड़ी अभ्यास" का अर्थ है कोई भी कार्य या चूक, जिसमें एक गलत बयानी भी शामिल है, जो एक पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए जानबूझकर या लापरवाही से गुमराह करता है, या गुमराह करने का प्रयास करता है; (iii) "जबरदस्ती अभ्यास" का अर्थ है किसी पार्टी के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए किसी भी पार्टी या पार्टी की संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधित करना या नुकसान पहुंचाना, या नुकसान पहुंचा**ने की धमकी देना**; तथा (iv) "मिलीभगत **व्यवहार**" का अर्थ है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक व्यवस्था जो एक अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करना शामिल है;

	(**ख**) **अवार्ड** के लिए प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित करता है कि **अवार्ड** के लिए अनुशंसित निविदाकर्ता **प्रस्तावित** निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है; (**ग**) एक निविदाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए या निश्चित अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि, किसी भी समय, बैंक यह निर्धारित करता है कि निविदाकर्ता अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है।
3. पात्रता मानदंड	3.1. निविदाकर्ताओं को अनुभवी, संसाधनपूर्ण, वित्तीय रूप से मजबूत और लाइसेंस प्राप्त इकाई (कंपनी / साझेदारी / मालिकाना फर्म, आदि) होना चाहिए: i. सेवा की अवधि के साथ केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों को 31 मार्च, 2025 तक समान प्रकार के काम (समान कार्य का अर्थ है कि एकल निविदा/अनुबंध के तहत निष्पादित प्रत्येक समान पूर्ण कार्य) का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव प्रस्तुत किया जाएगा। ii. **(a) ऐसी तीन पूर्ण सेवाएं जिसमें प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% से कम न हो, या** **(b) ऐसी दो पूर्ण सेवाएं जिसमें प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% से कम न हो, या** **(c) ऐसी एक पूर्ण सेवा जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं है।** iii. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अनुबंध के अनुमानित व्यय का कम से कम 30% का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा विधिवत समर्थित हो। iii. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार धनात्मक निवल मूल्य । निविदाकार बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। iv. पर्याप्त मोटाई के धात्विक बॉडी, अधिमानतः बुलेट**/**टैंपर प्रूफ वाले **न्यूनतम 5** पूरी तरह से ढके हुए कंटेनर ट्रक/वाहन, जो ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), सीसीटीवी और हूटर के साथ सुरक्षित टैंपर प्रूफ डबल लॉकिंग व्यवस्था के साथ हों और इनकी न्यूनत भंडारण क्षमता **75** बक्सों की हो जिनका औसत आकार लगभग **70x62x32** घन सेंटीमीटर और वजन लगभग **110** किलोग्राम होगा। v. निविदाकर्ता के पास ड्यूटी के निर्वहन के लिए लागू स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटीएन संख्या होगी। vi. अनुबंध के सफल अवार्ड के संबंध में, निविदाकर्ता के पास अनुबंध के निष्पादन के लिए अहमदाबाद के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर एक कार्यालय / स्थानीय प्रतिनिधि होगा। vii. निविदाकर्ता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक खाता रखेगा। बैंक का नाम और रखे गए खाते का स्वरूप की जानकारी बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए। नोट: निविदाकर्ता आवश्यक योग्यता/पात्रता रखने के अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।
4. निविदा दस्तावेज का संशोधन	4.1 निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि से किसी भी समय पहले, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) /ई-पोर्टल पर संशोधन/शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज में संशोधन कर सकता है**।** जारी किया गया कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र इस दस्तावेज का एक हिस्सा होगा।

	4.2 भावी निविदाकारों को अपनी निविदाएं तैयार करने में किसी भी/सभी संशोधनों/शुद्धिपत्र को ध्यान में रखने के लिए उचित समय प्रदान करने के लिए, बैंक, अपने विवेक से, निविदाओं को प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।
<u>बी. निविदाएं तैयार करना</u>	
5. निविदा की लागत	5.1 निविदाकर्ता अपनी निविदा तैयार करने और जमा करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा, और बैंक उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे निविदा प्रक्रिया का संचालन या परिणाम कुछ भी हो।
6. निविदा सहित दस्तावेज	6.1 निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे: भाग I - कार्य का दायरा और वाणिज्यिक शर्तें खंड I: निविदा आमंत्रित करने की सूचना खंड II: निविदा की अनुसूची खंड III: एमएसटीसी पर ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश खंड IV: निविदा का प्रपत्र खंड V: बोलीदाताओं को निर्देश खंड VI: अनुबंध के नियम और शर्तें खंड VII: निविदाकर्ताओं द्वारा भरा जाने वाला विवरण खंड VIII: जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची भाग II – मूल्य बोली
7. निविदा पत्र	7.1 निविदाकर्ता बिना किसी बदलाव के ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर (श्रेणी III) का उपयोग करके निविदा जमा करेगा। सभी रिक्त स्थानों को मांगी गई जानकारी से भरा जाएगा।
8. निविदाकर्ता की अर्हता को स्थापित करने वाले दस्तावेज	8.1 खंड V (पैरा 3) के अनुसार अनुबंध करने के लिए अपनी अर्हता स्थापित करने के लिए, निविदाकर्ता निविदा जमा करते समय सभी प्रासंगिक दस्तावेजों/रिकॉर्ड/सूचनाओं को प्रस्तुत करेगा।
9. निविदाओं की वैधता की अवधि	9.1 निविदा की वैधता अवधि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 90 दिन होगी। 9.2 असाधारण परिस्थितियों में, निविदा वैधता अवधि की समाप्ति से पहले, बैंक निविदाकर्ताओं से उनकी निविदाओं की वैधता की अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध और प्रतिक्रियाएं लिखित रूप में की जाएंगी।
10. निविदा जमानत के रूप में ईएमडी	10.1 निविदाकर्ताओं को ई-टेंडर में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क जमा करने की आवश्यकता है। लेनदेन शुल्क वापस लौटाया नहीं जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता (विक्रेताओं) के ईएमडी को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा वापस कर दिया जाएगा। 10.2 एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद को **₹3,20,000/-** (तीन लाख बीस हजार रुपये मात्र) की बयाना राशि जमा की

	जानी है। एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी राशि के अंतरण के लिए खाता और अन्य विवरण निम्नानुसार हैं: **(i) लाभार्थी का नाम – Reserve Bank of India Ahmedabad** **(ii) खाता संख्या - 186003001** **(iii) आईएफएससी कोड – RBIS0AHPA01** (5वें और 10वें अंक को शून्य (0) के रूप में पढ़ा जाए) **(ईएमडी) पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।**
C. निविदाएं जमा करना और खोलना	
11. निविदाएं प्रस्तुत करना, मुहर लगाना और मार्किंग करना	11.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदाएं जमा करने वाले निविदाकार ई-निविदा के संबंध में निर्देशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक ई-टेंडरिंग जमा करने की प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। 11.2 निविदाकर्ता अपनी तकनीकी बोली निर्धारित फार्मेट (खंड **VII**) में प्रस्तुत करें और इसके साथ खंड **VIII** में दिए गए दस्तावेजों की सूची के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां लगाए तथा मूल्य बोली (प्रतिस्पर्धी दरें) निर्धारित फार्मेट (भाग- **II**) में प्रस्तुत करे। सभी जानकारियों के साथ ई-निविदा अंतिम तिथि पर निर्धारित समय पर या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी। 11.3 यदि वांछित/निर्धारित सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो बैंक निविदा की अस्वीकृति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
12. निविदाए प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	12.1 निविदाएं इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन भरी जानी चाहिए, इस दस्तावेज़ में इंगित तिथि और समय के बाद नहीं। 12.2 बैंक, अपने विवेक पर, निविदा दस्तावेज में संशोधन करके निविदाएं प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है
13. विलंबित निविदाएं	13.1 ई-पोर्टल पर समय सीमा के बाद किसी भी निविदा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14. निविदा खोलना	14.1 बैंक अधिसूचित तिथि पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा खोलेगा।
D. निविदाओं की जांच	
15. गोपनीयता	15.1 निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी जो आधिकारिक तौर पर इस तरह की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जब तक कि सभी निविदाकर्ताओं को अनुबंध अवार्ड करने की जानकारी नहीं दी जाती है।
16. निविदाओं का स्पष्टीकरण	16.1 निविदाओं की जांच**,** मूल्यांकन, तुलना और निविदाकर्ताओं की अर्हता में सहायता करने के लिए, बैंक, अपने विवेक पर, किसी भी निविदाकर्ता से अपनी निविदा के स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, जिसकी प्रतिक्रिया के लिए उचित समय दिया जाएगा। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो बैंक के अनुरोध के जवाब में नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और उत्तर लिखित रूप में होगा। बैंक द्वारा निविदाओं के मूल्यांकन में पता चलने वाली गणितीय त्रुटियों में सुधार की पुष्टि करने के अलावा, निविदा के मूल्य अथवा विषयवस्तु में किसी प्रकार के बदलाव को माना, प्रस्तावित या अनुमत नहीं किया जाएगा।

	16.2 यदि कोई निविदाकर्ता स्पष्टीकरण के लिए बैंक के अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
E. निविदा मूल्यांकन और तुलना	
17. निविदाकर्ताओं की अर्हता	17.1 बैंक अपनी संतुष्टि का निर्धारण करेगा कि चयनित निविदाकर्ता खंड V (पैरा 3) के अनुसार अर्हता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं।
18. निविदाओं संवीक्षा / मूल्यांकन	18.1 दो भाग अर्थात "कार्य के दायरे और वाणिज्यिक स्थिति" पर भाग I और "मूल्य बोली" पर भाग II वाले निविदाएं ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से अलग से प्रस्तुत की जाएंगी। **(i)** कार्य के दायरे और वाणिज्यिक शर्तों पर भाग I निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए**:** a) **₹3,20,000/-** (रुपये तीन लाख बीस हजार मात्र) की राशि के लिए एनईएफटी के माध्यम से बयाना जमाराशि। इस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। b) निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार। c) निविदा के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य और दस्तावेज। d) जिसमें यह वचन दिया गया हो कि निविदाकर्ता किसी बैंक/वित्तीय संस्था का विलफुल डिफॉल्टर नहीं है और कंपनी/व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं है । e) मास्क्ड सांकेतिक मूल्य बोली जिसमें किसी मूल्य को इंगित किए बिना मूल्य विवरण के अनुसार सभी घटकों की सूची बनाना f) कोई अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता है। (ii) निविदा की **"**मूल्य बोली**"** पर भाग-**II** अलग से प्रस्तुत किया जाना है जिसमें भाग-**II** में दिए गए विनिर्दिष्ट फार्मेट में मूल्य के विस्तृत विवरण के साथ भारतीय रुपये में आंकड़ों और शब्दों दोनों में मूल्य होगा। भाग II में किसी अन्य संलग्नक की अनुमति नहीं है। निविदा के भाग II में पाए गए नियमों और शर्तों में परिवर्तन और विचलन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे शून्य माना जाएगा। उद्धृत दरों को समाप्त कार्य के लिए माना जाएगा और बिना किसी वृद्धि के स्थिर और बाध्यकारी होंगी**।** (iii) निविदाओं को खोलने के बाद सबसे पहले यह निर्धारित करने के लिए उनकी जांच की जाएगी कि क्या वे पूर्ण हैं और निविदा दस्तावेज में निर्धारित आवश्यक और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, शर्तों आदि को पूरा करती हैं, जो निविदाएं मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें अनुत्तरदायी माना जा सकता है और नजरअंदाज कर दिया जाएगा। (iv) केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की मूल्य बोली (भाग-II) खोली जाएगी जो निविदाओं के भाग-I की जांच के बाद पात्र पाए जाते हैं। (v) बैंक उन निविदाकर्ताओं को ठेका प्रदान करेगा जिनकी बोली निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के प्रति पर्याप्त रूप से ठीक होने के लिए

	निर्धारित की गई है और जिसने L1 आने के लिए अनुबंध के सभी घटकों के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अनुमानित बोली मूल्य की पेशकश की है। (vi) निविदाओं का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में पहले से शामिल नियमों और शर्तों के आधार पर किया जाएगा, जिसके आधार पर निविदाएं प्राप्त हुई हैं और निविदाकर्ताओं द्वारा अपनी निविदाओं में उल्लिखित नियमों, शर्तों आदि के आधार पर किया जाएगा। निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करते समय कोई नई शर्त नहीं लाई जाएगी। (vii) कार्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक सबसे कम बोली या किसी भी निविदा को स्वीकार नहीं करने के लिए स्वतंत्र होगा और बिना कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी या सभी निविदाओं पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।
19. किसी निविदा को स्वीकार करने और किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने के लिए बैंक का अधिकार	19.1 बैंक निविदाकर्ताओं के लिए कोई दायित्व वहन किए बिना या कोई कारण बताए बिना किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने और निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध अवार्ड करने से पहले किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, सशर्त बोलियों को सही तरीके से अस्वीकार कर दिया जाएगा।
F. अनुबंध प्रदान करना	
20. अनुबंध की अवधि	20.1 अनुबंध का अवार्ड दो वर्ष की अवधि अर्थात 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक के लिए वैध होगा, जिसे अनुबंध के नियमों और शर्तों के संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन, नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ/बिना एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। 20.2 बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता खंड VI में विनिर्दिष्ट करार के नियमों और शर्तों और अंतिम दर अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के भीतर एक करार पर हस्ताक्षर करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:

ए) सामान्य शर्तें:

i) निविदा दस्तावेज की पूर्णता के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

ii) उद्धृत की गई दरों के आंकड़ों और शब्दों के बीच किसी भी अंतर की स्थिति में, निविदा के मूल्यांकन के लिए शब्दों में वर्णित दर पर विचार किया जाएगा।

iii) निविदाकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा दस्तावेज़ में दिये गए सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विशिष्टताओं की जांच करे। निविदा दस्तावेज द्वारा आवश्यक सभी/ किसी भी जानकारी या दस्तावेज को प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप निविदा खारिज की जा सकती है।

B. निविदाओं की अयोग्यता/ अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार स्थितियां

i) निविदाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से या उनके चयन के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने के लिए किसी भी प्रकार से किया गया कोई भी कृत्य अयोग्यता का कारक होगा। ऐसे निविदाकर्ताओं को अगले तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में उनका पता चलता है, तो भी ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी।

ii) सभी निविदाएं सभी अनुलग्नकों/ संलग्नकों/ अनुबंधों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण प्रपत्र, या निर्धारित प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त बोलियां या उचित दस्तावेजी साक्ष्य आदि के बिना प्रस्तुत की गई बोलियों को बैंक द्वारा तुरंत और एक सिरे से खारिज कर दिया जाएगा।

iii) एमएसटीसी पोर्टल,के अलावा किसी अन्य तरीके से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा और तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस मामले पर किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

iv) निर्धारित ईएमडी/ प्रोसेसिंग शुल्क के बिना या उससे कम प्राप्त बोली प्रस्तावों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

v) नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

vi) सशर्त निविदाओं को सीधे खारिज कर दिया जाएगा, और इस संबंध में किसी अतिरिक्त खंड पर विचार नहीं किया जाएगा।

vii) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के बाद कोई निविदा संशोधित नहीं की जा सकती है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और निविदा में निविदाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट निविदा वैधता अवधि की समाप्ति के बीच के अंतराल में कोई निविदा वापस नहीं ली जा सकती है। अंतराल के दौरान निविदा वापस लेने पर ईएमडी जब्त हो जाएगी।

viii) वैकल्पिक प्रस्तावों/ अतिरिक्त समय की मांग करने वाली निविदाओं के प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जाएगी।

सी. विवाद निवारण तंत्र और मध्यस्थता

i) इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि इस निविदा के नियमों और शर्तों पर किसी भी/ सभी विवादों के मामले में, निविदा दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा (यदि निविदा अंग्रेजी और किसी अन्य भाषा में एक साथ जारी की जाती है)।
ii. यदि अनुबंध या कार्यों के निष्पादन के संबंध में बैंक और ठेकेदार/ प्रतिपक्ष के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो पार्टियों को उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर, सद्भावना के साथ, आपसी चर्चा के माध्यम से इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करना चाहिए, जिस दिन कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत करने/ सौहार्दपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए नोटिस देता है।

iii. यदि उपरोक्त अवधि के भीतर एक सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो रहा है, तो विवाद को संदर्भित किया जाएगा और अंत में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर यथाशांशोधित) के अनुसार मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से उसे हल किया जाएगा। मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा और यह अनुबंध पर लागू होगा।

iv. समझौते के तहत किसी भी/ सभी प्रकार के विवादों और मतभेदों को एकमात्र मध्यस्थ यानी क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को भेजा जाएगा और उसका निर्णय, लिखित रूप में, सेवा प्रदाता के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। हालांकि, किसी भी विवाद/ मुद्दे के लिए, जिसे मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया नहीं गया है, कानूनी क्षेत्राधिकार केवल अहमदाबाद होगा। किसी भी कानूनी विवाद को आपसी सहमति से निपटाने के लिए वैकल्पिक निपटान पद्धति का उपयोग किया जा सकता है।

डी. अप्रत्याशित परिस्थितियाँ

इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, यदि किसी पक्ष द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में देरी ऐसी परिस्थितियों के कारण होती है, जो उसके उचित नियंत्रण से बाहर की हैं (जिसमें, बिना किसी सीमा के, सरकारी कार्यवाही, प्राकृतिक आपदाएँ, सामाजिक विपदाएँ, हड़ताल, किसी भी क्षेत्र में दंगे, नेटवर्क विफलता, आतंकवादी हमला, युद्ध (घोषित या अघोषित) शामिल हैं), तो ऐसी देरी के लिए वह पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। तथापि, यदि किसी विलंबित पक्ष के आपूर्तिकर्ता द्वारा हुई देरी संबंधित आपूर्तिकर्ता के उचित नियंत्रण से बाहर नहीं है, तो ऐसी देरी उस पक्ष को उसकी देरी की उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगी।

ई. अस्वीकरण

i) हालांकि, इस दस्तावेज को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, लेकिन निविदाकर्ता स्वयं इस बात से संतुष्ट हों कि दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना इस कार्यालय को तुरंत दी जाएगी। यदि एनआईटी की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकर्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण है।

ii) बैंक सभी प्रारूपों और अनुलग्नकों सहित इस दस्तावेज़ को संशोधित करने, परिशोधित करने या पूरक दस्तावेज़ जोड़ने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

iii) यद्यपि इस दस्तावेज़ को पूरी निष्ठा के साथ तैयार किया गया है, तथापि न तो बैंक और न ही उसके कर्मचारी अथवा सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी विवरण या चूक, अथवा दी गई जानकारी की शुद्धता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रतिनिवेदन या वारंटी देते हैं, और न ही इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त, इस दस्तावेज़ की शुद्धता, विश्वसनीयता

या पूर्णता के संबंध में किसी भी कानून, अधिनियम, नियम या विनियम के अंतर्गत बैंक या उसके कर्मचारी अथवा सलाहकार किसी भी प्रकार के दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, भले ही उनके किसी कृत्य या उपेक्षा के कारण किसी प्रकार की हानि या नुकसान क्यों न हुआ हो।

एफ़) गोपनीयता कथन

i) इस निविदा दस्तावेज़ में निहित जानकारी अथवा बैंक द्वारा या बैंक की ओर से या उसके किसी कर्मचारी द्वारा निविदाकर्ता(ओं) को मौखिक या लिखित रूप में बाद में प्रदान की गई कोई भी जानकारी, इस निविदा दस्तावेज़ में वर्णित नियम एवं शर्तों तथा उन सभी अन्य नियम एवं शर्तों के अधीन होगी, जिनके अंतर्गत ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है। इस निविदा दस्तावेज़ का उद्देश्य निविदाकर्ताओं को उनकी प्रस्तावना (प्रपोज़ल) तैयार करने में सहायता हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना है।

ii. यह निविदा दस्तावेज़ प्रत्येक निविदाकर्ता द्वारा आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करने का दावा नहीं करता है।

iii. यह निविदा दस्तावेज़ सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और बैंक तथा/ या उसके कर्मचारी प्रत्येक बोलीदाता, जो इस निविदा दस्तावेज़ को पढ़ता है या इसका उपयोग करता है, के निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति या विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है।

iv. प्रत्येक निविदाकर्ता को चाहिए कि वह अपनी स्वयं की जाँच-पड़ताल और विश्लेषण करे तथा इस निविदा दस्तावेज़ में दी गई जानकारी की शुद्धता, विश्वसनीयता और पूर्णता की पुष्टि करे, और जहाँ आवश्यक हो, उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करे।

v. बैंक और उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार का प्रतिनिवेदन या वारंटी नहीं देते हैं और न ही किसी कानून, अधिनियम, नियम या विनियम के अंतर्गत इस निविदा दस्तावेज़ की शुद्धता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई देयता स्वीकार करेंगे।

vii. यह दस्तावेज़ तथा इसमें प्रदान की गई जानकारी गोपनीय है और केवल निविदाकर्ता(यों) के उपयोग हेतु अभिप्रेत है।

खंड- VI
अनुबंध के नियम और शर्तें

कार्य का दायरा:

निविदाकर्ता पर्याप्त मोटाई की धात्विक बॉडी वाले पूरी तरह से ढके हुए कंटेनर ट्रकों/ वाहनों की पर्याप्त संख्या **(न्यूनतम पांच**) की आपूर्ति करेगा, प्रायः ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), सीसीटीवी और हूटर के साथ छेड़छाड़ प्रूफ सुरक्षित डबल लॉकिंग व्यवस्था के साथ बक्से में पैक किए गए बैंक नोटों के परिवहन के लिए निम्नलिखित से आपूर्ति करेगा:

(i) रेलवे स्टेशनों / हवाई अड्डों / प्रेसेज़ / अन्य किसी भी स्थान से आरबीआई, अहमदाबाद तक और आरबीआई कार्यालयों से उक्त स्थानों तक।
(ii) आरबीआई, अहमदाबाद से गुजरात राज्य तथा दादरा और नगर हवेली एवं दीव-दमन के विभिन्न स्थानों तक और उक्त स्थानों से आरबीआई अहमदाबाद के कार्यालय तक।
(iii) अन्य आरबीआई कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्थित करेंसी चेस्ट्स तक और वहाँ से उक्त स्थानों तक।
(iv) आरबीआई, अहमदाबाद से आरबीआई के अन्य कार्यालयों तक और अन्य कार्यालयों से आरबीआई अहमदाबाद तक।

(ब) पुलिस और बैंक के प्रतिनिधियों के साथ जाने के लिए पर्याप्त संख्या में टैक्सियों की आपूर्ति।

पात्रता:

निविदाकर्ताओं को अनुभवी, संसाधनपूर्ण, वित्तीय रूप से मजबूत और लाइसेंस प्राप्त इकाई (कंपनी/ साझेदारी/ मालिकाना फर्म, आदि) होना चाहिए और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:

i) बोलीदाता के पास केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रमों/ राष्ट्रीयकृत बैंकों/ प्रतिष्ठित संगठनों के समान प्रकार की सेवाओं का कम से कम तीन साल का अनुभव (बोली खोलने से पहले मार्च के महीने में समाप्त) होना चाहिए। सेवा की अवधि के साथ ऐसे केंद्रीय/ राज्य/ सार्वजनिक उपक्रमों/ राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची के साथ प्रदान की गई सेवाएं प्रस्तुत की जाएंगी।

ii) बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों में यानी चालू वित्तीय वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इसी तरह की सेवाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित/ पूरा करना चाहिए ("समान सेवाओं" की परिभाषा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए):

ए) तीन समान पूर्ण सेवाओं की लागत अनुमानित लागत के 40% (चालीस प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं है; या
बी) दो समान पूर्ण सेवाओं की लागत अनुमानित लागत के 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं है; या
सी) एक समान पूर्ण सेवा की लागत अनुमानित लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं है.

iii) पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अनुबंध की अनुमानित लागत का कम से कम 30% का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित।

iv) नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार सकारात्मक निवल मूल्य। निविदाकर्ता बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। पर्याप्त मोटाई के धात्विक बॉडी वाले 5 पूरी तरह से ढके हुए कंटेनर ट्रकों/ वाहनों की न्यूनतम संख्या, सुरक्षित टेम्पर प्रूफ डबल लॉकिंग व्यवस्था के साथ बुलेट/ टेम्पर प्रूफ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), सीसीटीवी और हूटर के साथ सक्षम और औसत आकार के 72 नोट बक्से की न्यूनतम भंडारण क्षमता वाले लगभग (70x62x32) सेमी वजन वाले लगभग 110 किलोग्राम वजन के ट्रक।

vi. निविदाकर्ता के पास कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लागू स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटीएन संख्या होगी।
vii. अनुबंध के सफल अवार्ड के मामले में, निविदाकर्ता के पास अनुबंध के निष्पादन के लिए कार्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर एक कार्यालय/ स्थानीय प्रतिनिधि होगा।
viii. निविदाकर्ता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एक बैंक खाता बनाए रखेगा।
बैंक का नाम और धारित बैंक खाते की प्रकृति बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नोट: निविदाकर्ता आवश्यक योग्यता/पात्रता रखने के अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे

प्रारंभ/ नवीनीकरण:

i) निविदा (निविदाओं) की स्वीकृति के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता (ओं) अनुबंध को निष्पादित करने और कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होंगे। सफल निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज की शर्तों और दरों की अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के भीतर बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

ii) सफल निविदाकर्ता (ओं) द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने और अनुबंध को निष्पादित करने से इनकार करने या अनुबंध को रद्द करने या किसी भी तरह से सेवा में व्यवधान का कारण बनने की स्थिति में, इसकी वैधता के दौरान किसी भी समय, बैंक के पास पड़े ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा और निविदाकर्ता को भविष्य में किसी भी निविदा में भाग लेने से काली सूची में डाल दिया जाएगा।

iii) अनुबंध एक बार में दो साल के लिए वैध होगा यानी 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए, जिसे बैंक द्वारा अपने विकल्प पर एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ/ बिना संविदात्मक नियमों और शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन। इसके बाद उक्त सेवा के लिए नई निविदा के लिए नई बोली लगाई जा सकती है।

iv) जब अनुबंध की अवधि समाप्त होने वाली हो, तो अनुबंध के विस्तार के मामले पर बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है। मौजूदा अनुबंध की समाप्ति से तीन महीने पहले, ठेकेदार बैंक को लिखित रूप में अनुरोध प्रदान करेगा कि क्या वह मौजूदा अनुबंध के अनुसार दरों की अनुसूची सहित मौजूदा नियमों और शर्तों पर एक और अवधि के लिए अनुबंध का नवीनीकरण करने के लिए वह तैयार है।

बयाना जमा राशि :

निविदा में निर्दिष्ट कार्य की कुल अनुमानित लागत के 2% की बयाना जमाराशि (ईएमडी) सभी बोलीदाताओं से अग्रिम रूप से प्राप्त की जाएगी।

प्रदर्शन बैंक गारंटी/ सुरक्षा जमा

अनुबंध मूल्य के 5% के समतुल्य राशि की एक प्रदर्शन बैंक गारंटी/ सुरक्षा जमा, आरबीआई द्वारा निविदा अंबटन सूचना जारी किए जाने के 10 दिनों के भीतर, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। यह गारंटी अनुबंध अवधि के पूरे कार्यकाल के लिए वैध होगी, ताकि ठेकेदार द्वारा संविदात्मक दायित्वों की विधिवत पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

पीबीजी/ सुरक्षा जमा का प्रस्तुतीकरण निविदा में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में पीबीजी/ सुरक्षा जमा जमा करने में देरी होती है, तो देरी के लिए लगने वाला शुल्क ठेकेदार के बिलों से बैंक रेट के अनुसार वसूल किया जाएगा। **सुरक्षा जमा की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।**

ठेकेदार के कर्तव्य:

वैधता अवधि पूरी होने तक अनुबंध को सफलतापूर्वक निष्पादित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। यदि ठेकेदार सौंपे गए कार्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसका पीबीजी/ सुरक्षा जमा लागू किया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार को अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान से क्षतिपूर्ति करनी होती है और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

i) ठेकेदार, अनुबंध अवधि के दौरान हर समय, महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, अहमदाबाद या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी (अधिकारियों) से उस आशय की लिखित मांग की प्राप्ति से 12 घंटे के भीतर, बक्से में पैक किए गए करेंसी नोटों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की आपूर्ति करेगा। इस तरह की मांग ठेकेदार को ई-मेल के माध्यम से भेजी जा सकती है। नोट बक्सों के परिवहन के लिए निर्धारित समय से कम से कम तीन घंटे पहले लिखित रूप में एक और नोटिस जारी करके बैंक द्वारा मांग नोटिस रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामले में, बैंक ठेकेदार को पारिश्रमिक, मुआवजे आदि के माध्यम से कोई भुगतान नहीं करेगा।

ii) तत्काल मामलों में, महाप्रबंधक/ डीजीएम-प्रभारी, बैंक के निर्गम विभाग द्वारा प्रमाणित, बारह घंटे के नोटिस के बदले में तीन घंटे के नोटिस के साथ मांग, बैंक द्वारा की जा सकती है और तदनुसार ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

iii) इस प्रकार दिए गए नोटिस का अनुपालन किया जाएगा, भले ही इसके लिए शनिवार और रविवार सहित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित सामान्य व्यावसायिक घंटों से परे या सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित दिन/ दिनों या इस संबंध में लागू किसी अन्य मौजूदा क़ानून/ प्रावधान पर काम करने की आवश्यकता हो।

iv) ठेकेदार, किसी भी परिस्थिति में, बैंक की खेप ले जाने वाले वाहनों में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित/ संबंधित माल या किसी अन्य वस्तु का परिवहन नहीं करेगा।

v) विप्रेषण ले जाने वाले कंटेनर ट्रकों को सूर्यास्त के बाद निकटतम पुलिस स्टेशन या जिला पुलिस मुख्यालय या पुलिस प्राधिकारियों या बैंक द्वारा निर्देशित किसी अन्य स्थान पर रुकना पड़ सकता है।

vi) निविदाकर्ता को आवश्यक मार्ग परमिट प्राप्त करने और अपने दम पर सभी प्रासंगिक करों का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

vii) ठेकेदार अनुबंध को आगे किसी और को नहीं सौंपेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अलावा अनुबंध के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, बैंक अनुबंध को रद्द कर सकता है और पीबीजी को लागू कर सकता है।

viii) के किसी भी टूटने के मामले में वाहन, ठेकेदार समान विशिष्टताओं के क्रेन/ स्टैंड-बाय/ वैकल्पिक वाहन की सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा ताकि खजाने के प्रेषण में देरी न हो।

ix) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वाहनों के पास संबंधित आरटीओ द्वारा जारी वैध अनुमति, पंजीकरण पत्र, परमिट, पीयूसी प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, अद्यतन कर भुगतान, बीमा कवरेज आदि उपलब्ध हों। ट्रकों के चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। उपर्युक्त परमिट, लाइसेंस, प्रमाणपत्र आदि की कमी के कारण बैंक को होने वाली किसी भी हानि, लागत, शुल्क या व्यय के लिए ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को क्षतिरहित रखेगा।

x) वाहनों को संभालने के लिए ठेकेदार द्वारा तैनात ड्राइवर और कर्मचारी अन्य संगठनों/ फर्मों के नहीं होने चाहिए।

xi) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इस समझौते के तहत कार्य करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त ड्राइवर शराब या अन्य मादक पदार्थों के आदी न हों। बैंक के परिसर में धूम्रपान, शराब का सेवन, तंबाकू या पान मसाला चबाना वर्जित है।

xii) बैंक को किसी भी समय काम के लिए ठेकेदार द्वारा तैनात वाहनों का निरीक्षण या निरीक्षण की व्यवस्था करने और किसी भी वाहन/ उपकरण को असुरक्षित घोषित करने और ऑपरेशन से तत्काल वापस लेने के लिए कहने का अधिकार होगा। ठेकेदार इसका शीघ्र/ तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

xiii) बैंक का कार्य उचित, सावधानीपूर्वक, शीघ्र और कुशल तरीके से किया जाना चाहिए। नोटबॉक्स, बैंक के कर्मचारियों या अधिकारियों, बैंक की संपत्ति, सामान आदि और बैंक के परिसर में मौजूद आम जनता या किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पूरे कार्य/ गतिविधियों को अंजाम दिया जाना चाहिए। निविदाकर्ता को ठेकेदार के साथ निकट समन्वय में काम करना होगा जो श्रमिकों/ मजदूरों की आपूर्ति करेगा।

xiv) ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए गए वाहन 10 वर्ष से कम पुराने होने चाहिए और सड़क पर चलने योग्य और अच्छी स्थिति में होने चाहिए। इन वाहनों का स्वामित्व या तो ठेकेदारों के स्वामित्व में होगा या पट्टे पर दिया जाएगा। पट्टे पर दिए गए वाहनों के मामले में, वाहनों का पट्टा अनुबंध के दौरान समाप्त नहीं होगा।

xv) ठेकेदार दुर्घटना, आग, चोरी, डकैती, खजाने की लूट, पारगमन में या किसी भी दोषपूर्ण वाहन द्वारा या किसी भी अक्षमता, ठेकेदार के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई किसी भी हानि या क्षति की प्रतिपूर्ति करेगा और बैंक को उसकी भरपाई करेगा।

xvi) ठेकेदार बैंक को अपने वाहनों के आवधिक रख-रखाव रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वाहन अग्निशामक यंत्र सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरणों से लैस हों।

xvii) ठेकेदार के पास किसी भी समय वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए संचार नेटवर्क होना चाहिए। ट्रकों की निरंतर ट्रैकिंग के लिए जीपीएस प्रदान किया जाना चाहिए।

xviii) ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए कंटेनर ट्रकों/ बंद वाहनों में हूटर लगाया जाएगा।

xix) ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए कंटेनर ट्रकों/ बंद वाहनों में यात्री और कार्गो डिब्बे दोनों का हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कवरेज होगा। एस्कॉर्ट पार्टी कमांडर (पुलिस) और प्रतिनिधि (पोतदार) के साथ संचार बनाए रखा जाना चाहिए। सीसीटीवी कवरेज और इसका स्टोरेज इस तरह से होना चाहिए कि बॉक्स और खजाने दोनों पर पर्याप्त कवरेज हो। किसी भी परीक्षण/ जांच के लिए उस की रिकॉर्डिंग पुनर्प्राप्त की जानी चाहिए। कंटेनर ट्रक उक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं, इस बारे में अंतिम निर्णय बैंक का होगा।

भुगतान और कर:

सभी प्रकार से पूर्ण प्रत्येक खेप के लिए बिल जमा करने के बाद मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। भुगतान, केंद्र/राज्य सरकार के वर्तमान दिशानिर्देशों/विधियों के अनुसार लागू दरों पर TDS-IT, TDS-CGST, TDS-SGST, TDS-IGST तथा अन्य लागू करों की कटौती के पश्चात किया जाएगा।

i) ठेकेदार को इस समझौते की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया जाएगा। प्रस्तावित उक्त शुल्क निर्धारित हैं और पूरे अनुबंध अवधि के लिए किसी भी आधार पर नहीं बढ़ाए जा सकते हैं और ठेकेदार द्वारा किसी भी अतिरिक्त शुल्क का दावा नहीं किया जाएगा।

ii) अंतिम राशि को निकटतम ₹1/- तक पूर्णांकित करने के बाद बिलों का भुगतान किया जाएगा (50 पैसे से कम का हिस्सा ₹1 तक पूर्णांकित नहीं किया जा रहा है और उस राशि से कम राशि को अनदेखा किया जाएगा)। ठेकेदार को देय सभी बिलों को इस संबंध में प्रासंगिक कानूनों/ नियमों के तहत निर्दिष्ट दर पर स्रोत पर कर कटौती के अधीन किया जाएगा।

iii) अनुबंध मूल्य में सभी शामिल होंगे जिसमें निश्चित और परिचालन शुल्क शामिल होंगे और कार्य के दायरे, आपूर्ति किए जा रहे वाहन के आधार पर और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, ड्राइवरों का वेतन/ वर्दी/ भोजन/ भत्ते आदि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) भुगतान, बोनस भुगतान, ग्रेच्युटी, बीमा और ओवरटाइम मजदूरी, यदि कोई हो, कर और लेवी भी शामिल होंगे। पार्किंग शुल्क, टोल गेट शुल्क और अन्य सभी शुल्क।

iv) बैंक भुगतान के बाद लेखापरीक्षा या तकनीकी जांच या किसी अन्य माध्यम से भुगतान के बाद पाए गए किसी भी अधिक भुगतान की वसूली का भुगतान कराने/ लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

v) अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य रकम को ठेकेदार को देय या देय होने वाली राशि से काट लिया जाएगा। अंतिम उपाय के रूप में पीबीजी को लागू किया जा सकता है।

vi) इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में कि क्या इसके तहत कोई दायित्व उत्पन्न हुआ है, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

अयोग्यता/ समाप्ति/ जुर्माना:

i. यदि कोई निविदाकर्ता स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में प्रभाव डालने हेतु किसी प्रकार का अनुरोध/प्रचार करने का प्रयास करता है, या बैंक के निर्णय (जाँच, तुलना, मूल्यांकन तथा अनुबंध प्रदान करने) को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक अथवा अन्य बाहरी दबाव लाने का प्रयास करता है, तो इसे गंभीर दुराचार माना जाएगा। ऐसे मामले में संबंधित निविदाकर्ता की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसे किसी भी आरबीआई की निविदा में भाग लेने से न्यूनतम एक वर्ष तथा अधिकतम तीन वर्ष तक के लिए अपात्र (delisted) किया जा सकता है। यदि ऐसे कृत्य चयन प्रक्रिया के दौरान पता नहीं चलें और बाद में उजागर हों, तो भी ऐसी अयोग्यता तुरंत प्रभाव से लागू होगी।

ii. अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी कारण से समाप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि इसके लिए दूसरे पक्ष को तीन माह पूर्व लिखित सूचना दी जाए।

iii. ठेकेदार के दिवालिया, दिवालियापन या विलीनीकरण की घोषणा होने या उसकी उस तकनीकी या वित्तीय क्षमता में भारी कमी आने की स्थिति में, जिसके आधार पर उसे मूल रूप से अनुबंध प्रदान के लिए चुना गया था, अनुबंध तुरंत समाप्त हो जाएगा। ऐसी समाप्ति ठेकेदार को लिखित सूचना जारी करके की जाएगी, बिना किसी प्रतिपूर्ति के अधिकार के, और यह अनुबंध की शर्तों के तहत या अन्यथा कानून के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में उत्पन्न या निहित किसी भी अधिकार या उपायों को प्रभावित किए बिना होगी।

iv. यदि बैंक द्वारा वाहनों की आपूर्ति हेतु जारी किसी भी अधिसूचना का पालन करने में ठेकेदार द्वारा देरी(तीन घंटे) की जाती है, या अनुबंध की किसी भी अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों का उल्लंघन होता है और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के निर्गम विभाग के महाप्रबंधक/ डीजीएम-प्रभारी द्वारा दण्डनीय माना जाता है, तो उक्त महाप्रबंधक/ डीजीएम-प्रभारी प्रत्येक घटना पर ठेकेदार पर अधिकतम ₹10,000 (दस हज़ार रुपये मात्र) तक का जुर्माना लगा सकते हैं।

v. यदि ठेकेदार द्वारा बार-बार अथवा लगातार देरी की जाती है, या अनुबंध के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभारी अधिकारी की स्वीकृति से, महाप्रबंधक/ उप-महाप्रबंधक-

प्रभारी, निर्गम विभाग द्वारा लिखित सूचना देकर अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकता है, चाहे पूर्व में ऐसे उल्लंघन या देरी पर कोई दंड लगाया गया हो अथवा नहीं।

vi. अनुबंध का जारी रहना मुख्यतः ठेकेदार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। यदि किसी भी समय प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो बैंक तीन माह की लिखित सूचना देकर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

vii. यदि ठेकेदार तीन से अधिक अवसरों पर सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए अथवा सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, चाहे कारण कुछ भी हो। ऐसे मामलों में परिवहनकर्ता किसी प्रकार के मुआवजे का दावा नहीं कर सकेगा।

viii. सभी उन मामलों में जहाँ ठेकेदार पर कुल मिलाकर अनुबंध मूल्य के **एक** प्रतिशत की दंड राशि लग चुकी हो, ऐसी स्थिति में दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के बाद अनुबंध विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा।

संविधि का अनुपालन:

ठेकेदार देश और संबंधित राज्य (राज्यों) में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करेगा। ठेकेदार अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को सभी प्रकार के कानूनी निहितार्थों से क्षतिपूर्ति करेगा और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

i) बोलीदाता को श्रम, कराधान, कामगार सुरक्षा, बाल और महिला श्रम, रोजगार आरक्षण आदि से संबंधित विभिन्न सांविधिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। बोलीदाता को उपयुक्त प्राधिकरणों के तहत पंजीकृत होना चाहिए अर्थात, जीएसटी प्राधिकरण/ आयकर / पैन/ ईपीएफ/ ईएसआई प्राधिकरण/ भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908/ श्रम लाइसेंस आदि के साथ पंजीकृत होना चाहिए;

ii) ठेकेदार मोटर वाहन अधिनियमों के प्रावधानों और संबंधित राज्यों में लागू विभिन्न राज्यों के नियमों का पालन करेगा।

iii) ठेकेदार अन्य सभी वैधानिक देयताओं का भुगतान करने के अलावा, केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार अपने तैनात श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान जैसे सभी लागू वैधानिक भुगतान करेगा।

iv. कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को ईपीएफ अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस और/अथवा लाभांश तथा लागू होने पर ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत बीमा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ईएसआई उपलब्ध न होने की स्थिति में, ठेकेदार को श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत वर्कमेन कम्पेन्सेशन बीमा जैसे बीमा कवरेज के माध्यम से उत्तरदायित्व का वहन करना होगा। इस बीमा का कुल प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने कार्मिकों के ईपीएफ़ योगदान हेतु वैध ईपीएफ़ खाता होना चाहिए। किसी भी वैधानिक भुगतान का पालन न करने की शिकायत की स्थिति में, बैंक अनुबंध रद्द करने के अपने अधिकार को प्रभावित किए बिना संबंधित राशि को बिल से काट लेगा।

v. ठेकेदार को सभी अभिलेखों एवं विधिक दस्तावेजों को प्रचलित कानूनों के अनुसार अद्यतन रखना होगा तथा प्रबंधन/ वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

vi. ठेकेदार को बैंक के कार्य हेतु नियुक्त अपने कर्मचारियों के हस्ताक्षर सहित वेतन वितरण का ब्योरा प्रतिमाह बैंक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। यदि भुगतान नकद में किया जाता है, तो यह बैंक के अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति

में उनके हस्ताक्षर के साथ किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन भेजा जा सकता है तथा भुगतान का बैंक विवरण बैंक में जमा किया जा सकता है।

vii. प्रधान नियोक्ता अर्थात बैंक, ठेकेदार के श्रमिकों/ कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि ठेकेदार द्वारा अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही अथवा चूक के कारण किसी भी प्रचलित कानून के तहत बैंक को ठेकेदार के श्रमिकों/ कर्मचारियों को कोई भुगतान करना पड़ता है, तो ऐसी राशि बैंक द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल की जाएगी।

viii. संविदा निष्पादन हेतु तैनात अपने किसी भी श्रमिक/ मज़दूर या व्यक्ति द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (प्रतिरक्षण, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर में ठेकेदार के किसी कर्मचारी/ श्रमिक के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत आती है, तो शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त अधिनियम के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं संबंधित विषयों के बारे में जागरूक करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

ix. ठेकेदार के किसी कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत होने पर, उसकी सुनवाई बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा की जाएगी।

x. यदि किसी घटना में ठेकेदार के कर्मचारियों की संलिप्तता पाई जाती है, तो उक्त घटना से संबंधित किसी भी वित्तीय मुआवज़े की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न सिद्ध होता है, और किसी प्रकार की आर्थिक राहत देनी आवश्यक होती है, तो उसका सम्पूर्ण वहन ठेकेदार करेगा।

xi.ठेकेदार को कार्य आरंभ होने से पूर्व, अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत एक वैध लाइसेंस प्राप्त करना होगा, तथा कार्य समाप्ति तक वैध लाइसेंस रखना होगा। ठेकेदार को बाल श्रमिक (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 के प्रावधानों का भी पालन करना होगा। ठेकेदार को वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1938, श्रमिकों की क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, अथवा इनके संशोधनों तथा/या इस संबंध में समय-समय पर लागू किए जाने वाले अन्य संबंधित कानून/अधिनियम/विधि/नियम/विधान/कोड के प्रावधानों का भी पालन करना होगा।

गैर-प्रकटीकरण खंड:

ठेकेदार किसी भी ऐसे सूचना, सामग्री या विवरण, जैसे कि बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/ सिस्टम/ उपकरण, आदि से संबंधित जानकारी, जो इस अनुबंध के पालन के दौरान ठेकेदार के ज्ञान या आधिपत्य में आती है, को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी तृतीय पक्ष के सामने अभिव्यक्त/ प्रकट नहीं करेगा तथा उसे सदैव अत्यंत गोपनीय रखेगा। ठेकेदार इस अनुबंध के विवरणों को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उन परिस्थितियों के जब अपने दायित्वों का पालन करने या प्रासंगिक विधि के अनुपालन हेतु उस जानकारी का उपयोग आवश्यक हो। ठेकेदार बिना नियोक्ता (बैंक) की पूर्व लिखित सहमति के किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका या कहीं और कार्य से संबंधित कोई भी विवरण प्रकाशित नहीं करेगा, न ही किसी प्रकार के प्रकाशन की अनुमति देगा और न ही किसी जानकारी का प्रकटीकरण करेगा। ठेकेदार द्वारा किसी भी गोपनीय सूचना के प्रकटीकरण से होने वाली किसी भी हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन ठेकेदार द्वारा अनुबंध का भंग माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में बैंक को हर्जाना दावा करने तथा विधिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में उपयुक्त कदम उठाएगा ताकि इस अनुबंध में वर्णित गोपनीय जानकारी के अप्रकटीकरण के दायित्वों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जा सके। गोपनीयता

एवं अप्रकटीकरण से संबंधित ठेकेदार के दायित्व इस अनुबंध की अवधि समाप्त होने या किसी भी कारण से समाप्त कर दिए जाने के पश्चात् भी यथावत प्रभावी रहेंगे।

कर्मचारी सुरक्षा और बीमा

i) संचालन एवं अनुरक्षण कार्यों में कार्यरत अपने कार्मिकों की सुरक्षा, संरक्षा तथा बीमा/ जीवन बीमा हेतु ठेकेदार स्वयं पूरी तरह उत्तरदायी होगा।

ii) ठेकेदार, बैंक द्वारा अनुमोदित नियम एवं शर्तों के अनुसार, अपने स्वयं के व्यय पर, अनुबंध में निर्दिष्ट जोखिमों एवं कवरेज के लिए बीमा कराएगा तथा उसका निर्वाहन करेगा। ठेकेदार निम्नलिखित जोखिमों का बीमा कराएगा:
(a) संपूर्ण अनुबंध मूल्य के लिए „ऑल रिस्क (CAR)" पॉलिसी।
(b) स्थल पर कार्यरत ठेकेदार के कर्मचारियों हेतु कार्यकर्ता मुआवजा पॉलिसी।
(c) तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी, कुल ₹10.00 लाख की राशि के लिए तथा प्रति दुर्घटना ₹2 लाख की सीमा के साथ।

iii) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यों के निष्पादन के दौरान उसके श्रमिकों द्वारा सुरक्षा जूते, दस्ताने आदि जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।

iv) किसी भी श्रमिक को या उसके द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन/ कार्य निरीक्षण या अन्य किसी प्रक्रिया के दौरान होने वाली किसी भी घातक चोट/ मृत्यु के लिए बैंक किसी प्रकार का मुआवज़ा देने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

v) उद्‌धृत दरें उस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/ अधिसूचित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होंगी जहाँ सेवा प्रदान की जा रही है, तथा उनमें सभी वैधानिक दायित्व सम्मिलित होंगे।

vi) अनुबंध के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए सभी कार्मिकों के संबंध में देय सभी प्रकार के दायित्वों के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा तथा बैंक इन कार्मिकों की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के देयकों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

vii) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों को शराब पीने की या नशीले पदार्थों के सेवन की लत न हो तथा वे बैंक के हितों के प्रतिकूल किसी गतिविधि में संलग्न न हों। ठेकेदार अपने द्वारा तैनात सभी श्रमिकों का पुलिस सत्यापन कराएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिनियुक्त कर्मचारियोन का आचरण एवं चरित्र उत्तम हो।

मैं/ हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि मैंने/ हमने उपर्युक्त अनुबंध के नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है और उन्हें हम स्वीकार करते हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
पता ______________________________

____
कार्यालय की मुहर

गवाह:

गवाह 1 गवाह 2

हस्ताक्षर ____________________________ नाम_______________________ पता________________________ ______________________________ ______________________________ दिनांक: __________________________	हस्ताक्षर ____________________________ नाम_______________________ पता________________________ ______________________________ ______________________________ दिनांक: __________________________

खंड-VII

"निविदाकर्ता द्वारा भरने हेतु विवरण
(भरकर, हस्ताक्षरित कर, MSTC लिमिटेड के पोर्टल पर अपलोड किया जाना है)"

ए. निविदाकर्ता का विवरण

क्र. सं.	विवरण		विवरण
1	निविदाकर्ता का नाम		
2	पता (कृपया पते का प्रमाण प्रस्तुत करें जैसे टेलीफोन बिल, बिजली बिल, मोबाइल बिल आदि)		
	i) पंजीकृत पता		
	ii) अहमदाबाद में स्थानीय पता		
3	टेलीफोन नंबर (लैंडलाइन)		
	i) पंजीकृत पता		
	ii) अहमदाबाद में स्थानीय पता		
4	मोबाइल नंबर		
	i) पंजीकृत पता		
	ii) अहमदाबाद में स्थानीय पता		
5	फैक्स नंबर		
	i) पंजीकृत पता		
	ii) अहमदाबाद में स्थानीय पता		
6	ई-मेल पता		
7	आयकर पैन (प्रमाणित/ सत्यापित फोटोकॉपी प्रस्तुत करें)		
8	टैन (प्रमाणित / सत्यापित फोटोकॉपी प्रस्तुत करें)		
9	जीएसटी पंजीकरण संख्या।		
10	निविदाकर्ता की स्थापना (वृत्तचित्र प्रस्तुत करें मेमोरेंडम/ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जैसे साक्ष्य, साझेदारी विलेख आदि)		
11	प्रोपराइटर/पार्टनर्स/डायरेक्टर्स के नाम		
	(दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें जैसे मेमोरेंडम/आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड आदि और समर्थन में पैन नंबर)		
12	(ख) निविदाकर्ता के स्वामित्व वाले ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), सीसीटीवी और हूटर के साथ सुरक्षित छेड़छाड़ रोधी डबल लॉकिंग सिस्टम के साथ बुलेट/ छेड़छाड़ रहित ट्रकों/ वाहनों की संख्या (प्रत्येक वाहन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसियों, फिटनेस प्रमाण पत्र, पीयूसी, जीपीएस स्थापना के प्रमाण आदि की प्रतियां जमा करें)		
13	जीपीएस की अधिकतम संख्या और अधिमानतः बुलेट/ टैम्पर प्रूफ कवर किए गए ट्रकों के साथ डोर और लॉकिंग व्यवस्था के साथ जिन्हें निविदाकर्ता एक बार में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मांग किए जाने पर प्रदान कर सकता है।		
14	बैंक के पास रखे गए निविदाकर्ता का चालू खाता संख्या और उसे खोलने की तारीख		

15	बैंक और शाखा का नाम और पता जहां उपरोक्त चालू खाता रखा गया है (कृपया बैंक से एक प्रमाण पत्र या उसी के समर्थन में एक रद्द किया गया चेक जमा करें)	
16	पिछले और वर्तमान अनुबंध का विवरण। कृपया दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें जैसे कि अनुबंध की स्व-प्रमाणित प्रतियां, पुरस्कार पत्र, समझौते, पिछले उपयोगकर्ताओं द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र आदि।	

बी. उन संस्थानों का विवरण जिनके साथ निविदाकर्ता ने समान अनुबंध किए हैं (उसके समर्थन में दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न किए जा सकते हैं):

क्रम सं	संस्था का नाम	पता और टेलीफोन नंबर (संबन्धित दस्तावेज़ प्रस्तुत करें)	संविदा की अवधि	टर्न ओवर (प्रतिवर्ष) (₹)

सी. संपर्क विवरण: वाहनों के लिए डिमांड को संप्रेषित करने के लिए विवरण

नाम	पदनाम	फ़ोन नंबर	मोबाइल नंबर	फैक्स नं.	ई-मेल

डी. बयाना धन जमा का विवरण

i.	एनईएफ़टी विवरण	
ii.	राशि (अंकों एवं शब्दों में)	
iii.	बैंक का नाम	
iv.	बैंक की शाखा का नाम	
v.	बैंक शाखा का पता	
vi.	दूरभाष संख्या	
vii.	मोबाइल नंबर	
viii.	फ़ैक्स नंबर	
ix.	ईमेल आईडी	

ई. स्वामित्व वाले वाहनों का विवरण:

क्रम सं.	निर्माता एवं प्रकार	क्षमता (टन में)	पंजीकरण संख्या	आरटीओ फिटनेस प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि	वाहन की ऊँचाई	लॉकिंग व्यवस्था	बीमा पॉलिसी प्रकार व समाप्ति तिथि	क्या ट्रक GPS सक्षम है	क्या ट्रक बुलेट/टैम्पर प्रूफ है	क्या CCTV व हूटर स्थापित है

एफ़. अतिरिक्त वाहनों का विवरण जो ठेकेदार आवश्यक होने पर आरबीआई को पेश करेगा:

क्रम संख्या	निर्माता एवं प्रकार	क्षमता (टनों में)	पंजीकरण संख्या	आरटीओ फिटनेस प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि	वाहन की ऊँचाई	लॉकिंग व्यवस्था	बीमा पॉलिसी प्रकार व समाप्ति तिथि	क्या ट्रक GPS सक्षम है	क्या ट्रक बुलेट/टैम्पर प्रूफ है	क्या CCTV व हूटर स्थापित है

जी) क्या निविदाकर्ता को कभी आरबीआई या राज्य/ केंद्र सरकार के विभाग द्वारा काली सूची में डाला गया है? **- हां / नहीं**

(यदि फर्म या उसके निदेशकों को आरबीआई द्वारा आवेदन करने से रोक दिया गया है या काली सूची में डाला गया है या किसी आपराधिक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है)।

एच) क्या फर्म या उसके निदेशकों के खिलाफ कोई न्यायिक कार्यवाही किसी अदालत में लंबित है?
- हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो विवरण दें (एक अलग शीट संलग्न करें)

आई) क्या अनुबंध के नियम और शर्तें निविदाकर्ता को स्वीकार्य हैं? – **हां/नहीं**

यदि हां, तो इस निविदा दस्तावेज के खंड-VI में दिये गए अनुबंध के नियमों और शर्तों की एक प्रतिलिपि, प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित, निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

ए) नोट बक्सों के परिवहन के लिए तैनात किए गए वाहनों में ट्रैकिंग उद्देश्य के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) किट लगाई जानी चाहिए। ट्रकों को हमेशा काम करने की स्थिति में होना चाहिए।

बी) निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्य/ कार्यस्थलों/ कार्यकलापों का दौरा करें। बैंक परिसर और बोलियां जमा करने से पहले साइट के आसपास के परिसर को स्वयं समझ लें।

घोषणा

मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है और यदि उनमें से कोई भी बाद में गलत/ असत्य साबित होती है, तो बैंक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है जो वह उचित समझे।

मैं/ हम समझते हैं कि यदि मुझे/ हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी गलत/असत्य पाई जाती है तो हमारी निविदा किसी भी स्तर पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है और इस संबंध में आरबीआई का निर्णय अंतिम होगा।

स्थान:
दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम

पता:

खंड VIII:

तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची

i. मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र दस्तावेज़ों की प्रतियाँ, जो संविधान या विधिक स्थिति, पंजीकरण का स्थान और मुख्य व्यवसाय स्थल को परिभाषित करती हों; बोलीकर्ता को बाध्य करने हेतु बोली पर हस्ताक्षर करने वाले अभिकर्ता का लिखित पावर ऑफ़ अटॉर्नी। उपयुक्त व्यवसाय लाइसेंस/पंजीकरण:
a. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
b. पैन
c. ईपीएफ, ईएसआई, श्रम लाइसेंस की प्रतियाँ
d. प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियाँ (विनियमन) अधिनियम, 2005 या जिस राज्य में सेवा प्रदान की जानी है वहाँ के प्रख्यापित समान अधिनियम/नियमों के अंतर्गत वैध लाइसेंस की प्रति (सुरक्षा सेवा के मामले में)

ii. पिछले पाँच वर्षों में प्रदत्त सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य।

iii. पिछले तीन वर्षों हेतु समान प्रकृति और आकार की सेवाओं के कार्यादेशों की प्रतियाँ तथा अनुभव, और चल रही या संविदात्मक रूप से प्रतिबद्ध सेवाओं का विवरण; तथा उन अनुबंधों पर अतिरिक्त जानकारी हेतु संपर्क किए जा सकने वाले ग्राहकों के नाम एवं पते।

iv. इस अनुबंध हेतु कार्यशील पूँजी की पर्याप्तता का प्रमाण (क्रेडिट लाइन तक पहुँच और अन्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता)।

v. पिछले तीन वर्षों के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण (संबंधित अवधि के लाभ-हानि (P/L) विवरणों की प्रतियाँ तथा बैलेंस शीट सहित)।

vi. बैंक खाता ब्यौरा

vii. बोलीदाता के बैंकरों से संदर्भ प्राप्त करने के लिए अधिकृत पत्र।

viii. किसी भी ऐसे वाद-विवाद (वर्तमान या पिछले पाँच वर्षों के भीतर) से संबंधित जानकारी, जिसमें बोलीदाता शामिल रहा हो, संबंधित पक्षों का विवरण तथा विवादित राशि।

ix. यह घोषणा कि निविदाकर्ता किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था का जानबूझकर चूककर्ता (wilful defaulter) नहीं है और कंपनी/व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, जैसा कि खंड V (18)(i)(d) में उल्लिखित है।

x. वे दस्तावेज़ जो खंड VI में मांगे गए हैं।

xi. अनुबंध की नियम एवं शर्तों (जो खंड VI में शामिल हैं) की स्वीकृति, जिसके लिए आवेदक द्वारा उन्हीं की एक प्रति विधिवत हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत की जाएगी।

xii. एनईएफ़टी के माध्यम से आरबीआई, अहमदाबाद में जमा की गई Earnest Money की सूचना।

xiii. पिछले एक वर्ष की बैंक विवरणी

xiv. पिछले पाँच वर्षों में क्या निविदाकर्ता को आरबीआई या किसी भी सार्वजनिक संस्था द्वारा डिलिस्ट किया गया है या नहीं, इस संबंध में स्वयं-घोषणा।

xv. चालकों की वैध पुलिस सत्यापन रिपोर्टों की प्रतियाँ तथा उनके ड्राइविंग लाइसेंसों की प्रतियाँ।

xvi. धारा VI में उल्लिखित बीमा नीतियों की प्रतियाँ।

नोट: उपर्युक्त सभी दस्तावेज़ों को बोली प्रस्तुत करते समय निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी बोली के साथ ई-निविदा पोर्टल पर जमा/अपलोड किया जाना आवश्यक है। यदि निविदाकर्ता द्वारा उपर्युक्त किसी भी दस्तावेज़ का प्रस्तुतिकरण नहीं किया जाता है**,** तो बैंक के एकमात्र विवेकाधिकार पर ऐसी निविदा को भाग-**I** में अर्हताहीन माना जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग, अहमदाबाद

<u>आरबीआई/अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/1/25-26/ईटी/883</u>

01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च 2028 अर्थात दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए आरबीआई, अहमदाबाद से भारत के विभिन्न स्थानों पर बैंक नोटों के परिवहन के लिए दरवाजों और लॉकिंग व्यवस्था के साथ पूरी तरह से ढके कंटेनर ट्रकों/वाहनों की पर्याप्त संख्या की आपूर्ति के लिए और पुलिस एस्कॉर्ट और प्रतिनिधियों के लिए टैक्सी की आपूर्ति के लिए ई-टेंडरिंग विधि के माध्यम से निविदा ।

भाग II

(कीमत बोली)

निविदाकर्ता का नाम: ____________________________

पता: ______________________________________

____

____

प्रस्तुति की अंतिम तिथि**: 6 मार्च, 2026 पूर्वाह्न 10:00 बजे**

भाग II

(कीमत बोली)

	कार्य का नाम: बैंक नोटों के परिवहन हेतु पर्याप्त संख्या में पूर्णतः ढके हुए बंद कंटेनर ट्रकों/वाहनों की आपूर्ति, साथ ही निर्दिष्ट कर्मचारियों/पुलिस कर्मियों को ले जाने के लिए टैक्सियों की व्यवस्था।					
	विक्रेता का नाम					
मद सं.	मद का विवरण	मात्रा / वर्ष (ए)	एकक	दर/एकक **(₹)** **(बी)**	राशि **(₹)** **(ए*बी)**	भारांक **(100%** में से**)**
1	टैक्सी शुल्क (स्थानीय) @			केवल MSTC पोर्टल पर भरना है।		
(a)	बैठक क्षमता 4+1	10,000	Km			5%
(b)	बैठक क्षमता 6+1	10,000	Km			5%
2	टैक्सी शुल्क (बाहरी)					
(a)	बैठक क्षमता 4+1	1,50,000	Km			5%
(b)	बैठक क्षमता 6+1	1,50,000	Km			5%
3	ट्रक प्रभार (स्थानीय)					
(a)	9 एमटी तक क्षमता	3000	Km			5%
(b)	12 एमटी तक क्षमता	1500	Km			5%
4	अहमदाबाद के बाहर लेकिन गुजरात के भीतर ट्रक शुल्क					
(b)	9 एमटी तक क्षमता	100000	Km			40%
(c)	12 एमटी तक क्षमता	50000	Km			20%
5	गुजरात से बाहर के लिए ट्रक शुल्क					
(a)	12 एमटी तक क्षमता	5000	Km			5%
(b)	16 एमटी तक क्षमता	5000	Km			5%
			कुल लागत			
कुल लागत शब्दों में						

नोट: ट्रकों के लिए उद्धृत दरें केवल ख़ज़ाने के परिवहन हेतु ही होंगी। खाली वाहन की वापसी/यात्रा के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

@ 40 किलोमीटर तक की न्यूनतम दूरी या वास्तविक दूरी (यदि दूरी 40 किलोमीटर से अधिक हो) — जो भी अधिक हो — के आधार पर स्थानीय प्रेषणों (अर्थात् अहमदाबाद नगरपालिका सीमा के भीतर) के लिए टैक्सी (एस्कॉर्ट/पोटदार वाहन) शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

उपरोक्त मदों के लिए निविदाकर्ता द्वारा पेश की गई दरों को तालिका में दिए अनुसार भारित किया जाएगा और भारित दरों को जोड़कर संयुक्त दर निकाली जाएगी। निविदाकर्ताओं की संयुक्त दरों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, जिसके आधार पर न्यूनतम (L1) दर वाले निविदाकर्ता का निर्धारण किया जाएगा।

मूल्य बोली के लिए टिप्पणियाँ: -

i. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दाखिल करने से पहले कार्यस्थल/गतिविधियों, जैसे बैंक परिसर, का स्थल निरीक्षण करें और वहाँ की परिस्थितियों से स्वयं को अवगत कर लें। निविदाकर्ता को सभी मदों के लिए दरें उद्धृत करनी होंगी और किसी भी मद का आंशिक कार्य अलग से संविदाबद्ध नहीं किया जाएगा।
ii. ठेकेदार को उपरोक्त मदों के संबंध में 'शून्य' राशि उद्धृत न करने की सलाह दी जाती है।
iii. परिवहन दरों में सुरक्षा, बीमा, ड्राइवर भत्ता, नाइट हॉल्ट शुल्क, परिवहन तथा अन्य आकस्मिक और विविध व्यय शामिल होना चाहिए।
iv. ऐसे कार्य-मद जिनका यहाँ उल्लेख नहीं है और जिन पर समझौते में सहमति नहीं बनी है, उनकी दरें बैंक द्वारा ठेकेदार से परामर्श करके निर्धारित की जाएँगी।
v. दरें सभी करों सहित होंगी, किंतु जीएसटी को छोड़कर।
vi. बैंक की आवश्यकता अनुसार, उपर्युक्त क्षमता से अधिक टन भार वाले वाहनों की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी, और उपयोग किए गए वाहनों की लागत 12 MT वाहनों के उपयोग हेतु सहमत दरों के आधार पर समानुपाती रूप से गणना की जाएगी।
vii. भुगतान विभिन्न हितधारकों से कार्य पूरा होने संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र/डेटा/सूचना प्राप्त होने तथा बिलों के सभी दृष्टियों से पूर्ण पाए जाने के बाद किया जाएगा। दूरी की गणना यात्रा की सबसे छोटी मार्ग दूरी के आधार पर की जाएगी, और किसी विवाद की स्थिति में यह दूरी गूगल रोड मैप के आधार पर मानी जाएगी तथा उसी अनुसार बिलों का निपटान किया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और निविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

नोट: उपर्युक्त गतिविधियाँ/मात्रा/कार्य का दायरा केवल पिछले अनुभव के आधार पर संकेतात्मक हैं और भविष्य के कार्यों में बदल सकते हैं। उपर्युक्त उल्लिखित गतिविधियों/मात्रा/कार्य के दायरे को भुगतान के आधार के रूप में नहीं माना जाएगा। भुगतान केवल वास्तविक रूप से किए गए कार्य के आधार पर ही किया जाएगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

सील

तिथि**:** स्थान**:**

अनुलग्नक – A (दस्तावेज़ों का प्रारूप)
अनुसूची A – कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी प्रारूप
(जारी करने वाले बैंक के नाम से खरीदे गए उपयुक्त मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
गांधी ब्रिज के निकट, उस्मानपुरा
अहमदाबाद-380014 (गुजरात)

महोदय,

कार्य का नाम – कार्यनिष्पादन प्रतिभूति जमाराशि के लिए बैंक गारंटी

WHEREAS
भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में स्थित है (जिसे आगे "आरबीआई" कहा जाएगा), ने शीर्षकित परियोजना के लिए अनुबंध (जिसे आगे "अनुबंध" कहा जाएगा) M/s ____________________ (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा, जिसका अर्थ उसके उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करेगा) को प्रदान किया है।

और चूँकि उक्त ठेकेदार अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों का विधिवत पालन सुनिश्चित करने हेतु ₹ ____________ (राशि शब्दों में) की कुल राशि की परफ़ॉर्मेंस सुरक्षा आरबीआई को जमा करने के लिए बाध्य है।

हम, _______________ (बैंक का नाम), (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा), M/s ______________, ठेकेदार, के अनुरोध पर, यह उपक्रम करते हैं कि अनुबंध की नियमों एवं शर्तों के विधिवत पालन के लिए परफ़ॉर्मेंस गारंटी के रूप में आरबीआई को ₹ ______________________ तक की राशि का भुगतान करेंगे।

अब यह गारंटी साक्ष्य प्रस्तुत करती है

1. हम ------------------ (बैंक का नाम) यह सहमति व्यक्त करते हैं और आरबीआई, उसके उत्तराधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को यह उपक्रम देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ठेकेदार ने अनुबंध की उक्त शर्तों के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है — और ऐसा निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा — तो हम आरबीआई की माँग पर, बिना किसी आपत्ति के, आरबीआई को ₹ ----------- (राशि शब्दों में: ---------- मात्र) या आरबीआई द्वारा माँगी गई किसी भी कम राशि का भुगतान करेंगे।

   हमारी यह गारंटी उक्त अनुबंध के अंतर्गत ठेकेदार की जिम्मेदारियों के विधिपूर्ण निर्वहन हेतु परफ़ॉर्मेंस गारंटी राशि के समकक्ष मानी जाएगी; बशर्ते कि हमारी ऐसी देयता ₹ -------------------- (राशि शब्दों में:

---------- मात्र) से अधिक नहीं होगी।

2. हम यह भी सहमति और पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त ₹ -------------------- तक की राशि, आरबीआई की लिखित सूचना प्राप्त होने पर — जिसमें यह कहा गया हो कि यह राशि उन्हें देय है — केवल उनकी माँग पर, बिना किसी आपत्ति या विरोध के, हम द्वारा अदा की जाएगी, और हम किसी भी अतिरिक्त प्रमाण या साक्ष्य की माँग नहीं करेंगे। आरबीआई द्वारा जारी की गई ऐसी सूचना हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगी और किसी भी प्रकार से उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। ठेकेदार द्वारा किसी भी न्यायालय, अधिकरण या मध्यस्थ/मध्यस्थों के समक्ष किसी वाद या कार्यवाही में उठाए गए किसी भी विवाद/विवादों के बावजूद, बैंक आरबीआई द्वारा माँगी गई धनराशि का भुगतान करेगा, और इस गारंटी के अंतर्गत देयता पूर्णतः निश्चित और निर्विवाद होगी। हम यह उपक्रम करते हैं कि आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान, उपर्युक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह की अवधि के भीतर करेंगे।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के प्रति हमारी देयता आरबीआई और ठेकेदार के बीच किए गए किसी भी अनुबंध, समझौते या अन्य व्यवस्थाओं से स्वतंत्र होगी।

4. यह गारंटी हमारी ओर से आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना वापस नहीं ली जाएगी।

हम आगे यह सहमति व्यक्त करते हैं कि –

a) आरबीआई द्वारा उक्त अनुबंध की शर्तों को लागू करने में किसी भी प्रकार की रियायत या चूक, या अनुबंध में उल्लिखित किसी भी नियम एवं शर्त के अनुपालन में कोई ढील, अथवा ठेकेदार को समय-विस्तार देना या कोई सहूलियत प्रदान करना, या इससे संबंधित किसी भी अन्य मामले में आरबीआई का कोई भी व्यवहार — किसी भी प्रकार से हमें इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता से मुक्त नहीं करेगा, और हमारी यह जिम्मेदारी यथावत बनी रहेगी।

यह गारंटी केवल तभी समाप्त मानी जाएगी जब ठेकेदार अपनी सभी जिम्मेदारियों का पूर्णतः निर्वहन कर लेता है, और यदि वह इसमें विफल रहता है, तो हम द्वारा ₹ ---------------------- (राशि शब्दों में: --------------------- मात्र) से अधिक नहीं की राशि के भुगतान पर।

b) हमारी इस गारंटी के अंतर्गत देयता ₹ ------------------ (राशि शब्दों में: ----------- मात्र) से अधिक नहीं होगी। .

c) हमारे उक्त ग्राहकों/हितधारकों की किसी भी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता, या उनके दायित्वों में किसी भी कमी, अथवा उनके विघटन या संरचना में परिवर्तन के कारण इस अनुबंध के अंतर्गत हमारी देयता प्रभावित नहीं होगी।

d) हमारी यह देयता, जैसा कि ऊपर प्रावधानित है, ----------------- को या उस तिथि को समाप्त हो जाएगी जिस दिन हमारे उक्त ग्राहकों द्वारा अपने दायित्वों का पालन कर दिया जाएगा — और इस संबंध में केवल आरबीआई द्वारा जारी किया गया लिखित प्रमाण-पत्र ही निर्णायक प्रमाण होगा — इन दोनों में से जो तिथि बाद की होगी, वही मानी जाएगी। जब तक कि हमारे विरुद्ध ----------------- या किसी विस्तारित अवधि के भीतर कोई दावा, वाद या कार्यवाही दायर नहीं की जाती, तब तक इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के हमारे विरुद्ध सभी अधिकार निरस्त माने जाएंगे, और हम अपनी सभी दायित्वों एवं देयताओं से मुक्त और विमुक्त हो जाएंगे।

जिसके साक्ष्यस्वरूप, मैं/हम, बैंक के पक्ष से, इस गारंटी पर हस्ताक्षर और मुहर लगा रहे हैं, इस --------- दिनांक ------- (महीना) (वर्ष) को, उचित रूप से अधिकृत होते हुए।

-------------------------------- के लिए तथा उसकी ओर से (बैंक का नाम)

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

बैंक की मुहर/सील

उपर्युक्त नामित व्यक्ति द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षरित, मुद्रांकित और सुपुर्द, निम्न साक्षी की उपस्थिति में:

साक्षी 1

हस्ताक्षर .... नाम ....

पता ....

(NB: इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क लगेगा जहाँ यह निष्पादित की जाएगी, तथा इसे उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसकी हस्ताक्षर एवं प्राधिकरण की पुष्टि आवश्यक होगी।).

अनुसूची B – भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा दिया जाने वाला प्रतिज्ञान / घोषणा / प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(बोलीदाता द्वारा अपने लेटरहेड पर, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सील किया हुआ प्रस्तुत किया जाना है।)

प्रति,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
अहमदाबाद.

कार्य का नाम:

मैं / हम ------------------------- (बोलीदाता का नाम और पता, जिसमें बोलीदाता के देश का उल्लेख शामिल है) ने कार्यालय ज्ञापन (OM) F.No. 6/18/2019-PPD दिनांक 23 जुलाई, 2020 तथा वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लोक खरीद प्रभाग द्वारा भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के बोलीदाताओं से खरीद पर लगाए गए प्रतिबंधों के संबंध में जारी इसके परवर्ती आदेशों/संशोधनों की सामग्री को पढ़ लिया है और उसका आशय समझ लिया है।

2. मैं / हम--------------------- (बोलीकर्ता का नाम) प्रमाणित करते हैं कि

i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश से नहीं है, या

ii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश से है और सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है, जिसका प्रमाणपत्र संलग्न है, या

iii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले ऐसे देश से है जहाँ भारत सरकार ने ऋण सहायता (Lines of Credit) प्रदान की हैं, या

iv. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले ऐसे देश से है जहाँ भारत सरकार विकास परियोजनाओं में संलग्न है। (उपर्युक्त में से जो लागू नहीं है उसे काट दें)

3. आगे, मैं/हम प्रमाणित करता/करते हैं कि --------------------------- (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता/करते हैं और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन तथा उसके परवर्ती आदेशों/संशोधनों के प्रावधानों

के अंतर्गत विचार किए जाने के लिए पात्र है/हैं। मैं/हम यह भी वचन देता हूँ/देते हैं कि जिन अनुबंधों में बैंक/आरबीआई द्वारा हमें उप-अनुबंध (sub-contract) देने की अनुमति हो, उनमें भी I/We ------------ (बोलीदाता का नाम) किसी भी कार्य को भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश/देशों के ठेकेदार को उप-अनुबंध के रूप में नहीं देगा/देंगे, जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश में निहित सभी आवश्यकताओं को पूरा न करता हो।

4. मैं/हम जनता/समझता हूँ/जानते/समझते हैं कि यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह प्रतिज्ञान / घोषणा / प्रमाणन / प्रमाणपत्र असत्य पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा / कार्यादेश को अस्वीकार / समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, और बैंक विधि के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना जमाराशि / कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी की जब्ती और/या भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से हमें प्रतिबंधित करना शामिल है।

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम, मुहर सहित

तिथि :

स्थान :

अनुसूची सी – संस्थागत ब्यौरा

<table>
<tr><td>निविदाकर्ता का नाम</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>व्यक्तिगत एकल स्वामित्व, साझेदारी अथवा लिमिटेड कंपनी</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>साझेदारी फर्म / लिमिटेड कंपनी की स्थापना की तिथि</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">डाक के लिए पता</td><td colspan="2">स्थानीय पता</td><td colspan="2">स्थायी/पंजीकृत कार्यालय का पता</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>पिन कोड</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>टेलीफ़ोन नंबर (एसटीडी कोड सहित</td><td>कार्यालय</td><td>निवास</td><td>फ़ैक्स</td><td>मोबाइल</td></tr>
<tr><td>ईमेल</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

स्थान :
तिथि :

बोलिकर्ता के हस्ताक्षर (सील सहित)

अनुसूची D – सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र

(बैंक के लेटरहेड पर)

संदर्भ सं.: ....

दिनांक: ....

जिससे भी संबंधित हो,

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं अभिलेखों के अनुसार, मेसर्स -- (बोलीदाता का नाम, पूर्ण पते सहित), जो हमारे बैंक के ग्राहक हैं, सम्माननीय हैं और ₹ ---------------------------------- (राशि शब्दों में -------------------) तक के आदेशों को निष्पादित करने में सक्षम हैं। मेसर्स -------------------- हमारे बैंक के ग्राहक ---------------------- से आज तक हैं तथा बैंक द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत उन्हें वर्तमान में निम्नलिखित सीमाएँ स्वीकृत की गई हैं:

यह प्रमाणपत्र ग्राहक के विशेष अनुरोध पर जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर)

अनुसिची ई – पंजीकरण ब्यौरा

क्रम	पंजीकरण का प्रकार	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि
1	आयकर – पैन		
2	आयकर – टैन (टीडीएस के लिए)		
3	जीएसटी नंबर		
4	दुकान और वाणिज्यिक संस्थापना अधिनियम		
5	पीएफ़/ईपीएफ़		
6	किसी प्रकार का पंजीकरण		
7	क्या अनुबंध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, अनुबंध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन*) केंद्रीय नियम, 1971 तथा कोई अन्य विधिक प्रावधान आपकी फर्म पर लागू होते हैं?		
8	क्या आप अनुबंध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970/71 की धारा 12(1) के अंतर्गत लाइसेंस धारित करते हैं? यदि हाँ, तो लाइसेंस संख्या आदि का विवरण प्रदान किया जाए।		
9	ईएसआईसी पंजीकरण ब्यौरा		

मैं/हम यह घोषित करता/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त शर्तों को पढ़ लिया है और उन्हें भली-भाँति समझ लिया है।

स्थान:
दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुसूची एफ़ – ग्राहकों की सूची
(जिनके लिए पिछले 3 वर्षों में समान कार्य किया गया था)

क्रम	ब्यौरा	ग्राहक **(1)**	ग्राहक **(2)**	ग्राहक **(3)**
1.	नाम			
2.	पता			
3.	ईमेल आईडी			
4.	संपर्क नंबर			
5.	कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा			
6.	संविदा प्रदान किए जाने की तिथि (संविदा प्रदान किए जाने का पत्र संलग्न करें)			
7.	ग्राहक का प्रमाणपत्र			

मैं / हम भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को मेरे / हमारे किसी भी ग्राहक से संदर्भ प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता/करते हैं।

स्थान:
दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुसूची जी – बैंकर (बैंकरों) का ब्यौरा

क्रम	विवरण	बैंक **1**	बैंक **2** और अधिक
1.	बैंक का नाम और पता		
2	बैंक से ली गई सुविधाओं का ब्यौरा (ऋण सुविधाओं सहित, यदि कोई)		
3.	संपर्क व्यक्ति		
4.	ईमेल आईडी		
5.	टेलीफ़ोन नंबर		
6.	फ़ैक्स नंबर		

मैं / हम भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को मेरे / हमारे किसी भी बैंकर से संदर्भ प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता/करते हैं।

स्थान:
दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अनुसूची एच – सार्वजनिक संस्था(ओं) द्वारा डिबारमेंट की घोषणा के संबंध में वचनबद्धता

(निविदाकर्ता द्वारा अपने लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है।)

कार्य का नाम :

1. मैं / हम -------------------------------- (बोलीकर्ता का नाम) यह घोषणा करता/करते हैं कि,

a) मैं / हम --------------------- (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) को भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्था / इकाई द्वारा डिबार / निलंबित / ब्लैकलिस्टेड नहीं हैं।

b) मैं / हम ने --------------------- (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) की स्थिति में, पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश की किसी भी सार्वजनिक संस्था / इकाई के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।

c) यदि मैं / हम को इस शीर्षकित कार्य के लिए कार्यादेश प्रदान किए जाने से पूर्व, भारत या किसी अन्य देश की किसी भी सार्वजनिक संस्था / इकाई द्वारा डिबार / निलंबित / ब्लैकलिस्टेड किया जाता है, तो हम इसकी लिखित सूचना बैंक को देंगे।

2. मैं / हम ------------------------------- (बोलीदाता का नाम) यह घोषणा करता/करते हैं कि, मैं / हम ---------------------------- (भारत या किसी अन्य देश की सार्वजनिक संस्था का नाम और पता) द्वारा डिबार / निलंबित / ब्लैकलिस्टेड हैं, और यह ------------------- (तिथि) तक प्रभावी है। ऐसी सूचना पत्र की एक प्रति आपकी जानकारी एवं अभिलेख हेतु संलग्न है।

(बोलीदाता की मुहर एवं हस्ताक्षर)
दिनांक:
स्थान:

(नोट: उपर्युक्त दो घोषणाओं में से जो लागू नहीं हो, उसे काट दें)